

# न्यायालय फीस अधिनियम, 1870

(1870 का अधिनियम संख्यांक 7)<sup>1</sup>

[11 मार्च, 1870]

## अध्याय 1

### प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम—यह अधिनियम न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 कहा जा सकता है।

अधिनियम का विस्तार—इसका विस्तार <sup>2</sup>[उन राज्यक्षेत्रों के] सिवाय, <sup>2</sup>[जो 1 नवम्बर, 1956 के ठीक पहले भाग ख राज्यों में समाविष्ट थे,] सम्पूर्ण भारत पर है।

अधिनियम का प्रारम्भ—और यह सन् 1870 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगा।

<sup>3</sup>[1क. “समुचित सरकार” की परिभाषा—इस अधिनियम में “समुचित सरकार” से, केन्द्रीय सरकार के अधीन सेवा करने वाले किसी अधिकारी के समक्ष पेश की गई या पेश की जाने वाली दस्तावेजों सम्बन्धी फीसों या स्टाम्पों के सम्बन्ध में, केन्द्रीय सरकार, और अन्य फीसों या स्टाम्पों के सम्बन्ध में राज्य सरकार अभिप्रेत है।]

<sup>4</sup>[2. “मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी” परिभाषित ।] विधि अनुकूलन आदेश, 1937 द्वारा निरसित।

<sup>1</sup> यह अधिनियम, निपटारा करने वाले अधिकारी के समक्ष कार्यवाहियों को तथा संथाल परगनाज जटिल लाज रेयुलेशन, 1899 (1899 का 3) द्वारा संशोधित संथाल परगनाज सैटलमेंट रेयुलेशन, 1872 (1872 का 3) की धारा 8 के अधीन कुछ अन्य मामलों को लागू न होना घोषित किया गया।

यह अधिनियम, 1963 के विनियम सं० 6 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा (1-7-1965 से) वादारा और नागर हवेली पर; 1963 के विनियम सं० 11 की धारा 3 और अनुसूची 1 द्वारा गोवा, दमण और दीव पर और विनियम सं० 8 की धारा 3 और अनुसूची 1 द्वारा उपान्तरणों महित (1-10-1967 से) सम्पूर्ण लक्ष्यद्वीप संघ राज्यक्षेत्र पर, विस्तारित और प्रवृत्त किया गया।

यह अधिनियम, 1930 के अधिनियम सं० 31 द्वारा अजमेर-मेरवाड़ा में;

1922 के असम अधिनियम सं० 4, 1932 के असम अधिनियम सं० 3, 1947 के असम अधिनियम सं० 18, 1950 के असम अधिनियम सं० 8, 1954 के असम अधिनियम सं० 27, 1955 के असम अधिनियम सं० 22, 1958 के असम अधिनियम सं० 3, 1958 के असम अधिनियम सं० 19, 1960 के असम अधिनियम सं० 12 और 1972 के असम अधिनियम सं० 28 द्वारा असम में;

1898 के बंगाल अधिनियम सं० 3, 1922 के बंगाल अधिनियम सं० 4, 1922 के बंगाल अधिनियम सं० 6, 1935 के बंगाल अधिनियम सं० 7, 1935 के बंगाल अधिनियम सं० 11 और 1941 के बंगाल अधिनियम सं० 3 द्वारा, बंगाल में;

1939 के विहार अधिनियम सं० 17 और 1958 के विहार अधिनियम सं० 7 द्वारा विहार में;

1922 के विहार और उड़ीसा अधिनियम सं० 2 द्वारा विहार और उड़ीसा में;

1932 के मुम्बई अधिनियम सं० 2 और 1943 के मुम्बई अधिनियम सं० 15 द्वारा मुम्बई में;

1935 के मध्य प्रान्त अधिनियम सं० 16 द्वारा मध्य प्रान्त में;

1938 के मध्य प्रान्त और बरार अधिनियम सं० 9, 1940 के मध्य प्रान्त और बरार अधिनियम सं० 16, 1941 के मध्य प्रान्त और बरार अधिनियम सं० 9, 1945 के मध्य प्रान्त और बरार अधिनियम सं० 5 और 1948 के मध्य प्रान्त और बरार अधिनियम सं० 7 तथा 1950 के मध्य प्रदेश अधिनियम सं० 4 और 38, 1951 के मध्य प्रदेश अधिनियम सं० 13 और 22 तथा 1953 के मध्य प्रदेश अधिनियम सं० 9 द्वारा मध्य प्रान्त और बरार में;

1952 के हिमाचल प्रदेश अधिनियम सं० 4 द्वारा हिमाचल प्रदेश में;

1922 के मद्रास अधिनियम सं० 5 और 1945 के मद्रास अधिनियम सं० 17 द्वारा मद्रास में;

1939 के उड़ीसा अधिनियम सं० 5, 1945 के उड़ीसा अधिनियम सं० 4, 1957 के उड़ीसा अधिनियम सं० 13, 1974 के उड़ीसा अधिनियम सं० 12 और 1975 के उड़ीसा अधिनियम सं० 55 द्वारा उड़ीसा में;

1887 के अधिनियम सं० 17 और 1922 के पंजाब अधिनियम सं० 7, 1942 के पंजाब अधिनियम सं० 1, 1949 के पूर्वी पंजाब अधिनियम सं० 26 और 1953 के पंजाब अधिनियम सं० 31, 1957 के पंजाब अधिनियम सं० 19, 1960 के पंजाब अधिनियम सं० 20 और 1979 के पंजाब अधिनियम सं० 9 द्वारा पंजाब में;

1922 के यू० पी० अधिनियम सं० 12, 1933 के यू० पी० अधिनियम सं० 3, 1936 के यू० पी० अधिनियम सं० 2, 1938 के यू० पी० अधिनियम सं० 19, 1941 के यू० पी० अधिनियम सं० 9, 1942 के यू० पी० अधिनियम सं० 14, 1943 के यू० पी० अधिनियम सं० 8, 1944 के यू० पी० अधिनियम सं० 5, 1948 के यू० पी० अधिनियम सं० 14, 1957 के यू० पी० अधिनियम सं० 28, 1959 के यू० पी० अधिनियम सं० 10, 1970 के यू० पी० अधिनियम सं० 34 और 1975 के यू० पी० अधिनियम सं० 9 द्वारा उत्तर प्रदेश में;

1957 के विनियम सं० 2 द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप में;

1973 के मेघालय अधिनियम सं० 2 और 5 द्वारा मेघालय में;

1975 के मध्य प्रदेश अधिनियम सं० 24 और 1976 के मध्य प्रदेश अधिनियम सं० 4 द्वारा मध्य प्रदेश में;

1967 के केन्द्रीय अधिनियम सं० 28 द्वारा दिल्ली में;

1974 के हरियाणा अधिनियम सं० 11 और 22 द्वारा हरियाणा में;

संशोधित किया गया।

यह अधिनियम 1958 के मैसूर अधिनियम सं० 16 द्वारा मुम्बई क्षेत्र और मैसूर के कुर्ग जिले को लागू किया जाना निरसित किया गया।

1940 के मद्रास विनियम सं० 6 और 1943 के उड़ीसा विनियम सं० 7 द्वारा क्रमशः मद्रास के भागतः अपवर्जित क्षेत्र और कोरापुट में भागतः निरसित किया गया।

<sup>2</sup> विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा “भाग ख राज्यों” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>3</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा अन्तःस्थापित।

<sup>4</sup> अधिनियमितियों के निरसन से संवंधित मूल धारा 2 निरसन अधिनियम, 1870 (1870 का 14) द्वारा निरसित की गई। कोर्ट फीस (अमेटमेंट) ऐक्ट, 1901 (1901 का 10) की धारा 2 द्वारा “मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी” को परिभाषित करने वाली धारा जोड़ी गई और निरसन और संशोधन अधिनियम, 1917 (1917 का 24) द्वारा मापूली संशोधन किया गया। “मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी” की परिभाषा के लिए देखिए अब साधारण छंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 3 (10).

बंगाल के सिवाय यथा प्रवृत्त धारा 2 विधि अनुकूलन आदेश, 1937 द्वारा निरसित। उस प्रान्त में यह धारा कोर्ट फीस (बंगाल अमेटमेंट) ऐक्ट, 1935 (1935 का 2) आदेश अधिनियम सं० 7 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित की गई जिसमें “आपील”, “मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी”, “कलक्टर”, और “वाद” की परिभाषाएं दी गई हैं।

## अध्याय 2

### उच्च न्यायालय में और प्रेसिडेंसी नगरों के लघुवाद न्यायालयों में फीसें

3. उच्च न्यायालयों की आरम्भिक शाखाओं में फीसों का उद्ग्रहण—वे फीसें । [जो २[केरल, मैसूर और राजस्थान के उच्च न्यायालयों से भिन्न उच्च न्यायालयों के]] लिपिकों और (शैरिफों तथा अटर्नियों से भिन्न) अधिकारियों को तत्समय संदेय हैं;

या उन न्यायालयों में से हर एक में इस अधिनियम से उपावद्ध प्रथम अनुसूची के संख्यांक 11 और द्वितीय अनुसूची के संख्यांक 7, 12, 14 <sup>3\*\*\*</sup> 20 और 21 के अधीन प्रभार्य हैं;

प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालयों में फीसों का उद्ग्रहण—और वे फीसें जो <sup>4</sup>प्रेसिडेंसी नगरों के लघुवाद न्यायालयों तथा उनके विभिन्न कार्यालयों में तत्समय प्रभार्य हैं;

इसमें इसके पश्चात् बताई गई रीति से संगृहीत की जाएगी ।

4. उन दस्तावेजों पर फीसें जो उच्च न्यायालयों में उनकी असाधारण अधिकारिता में फाइल आदि की गई हैं—इस अधिनियम से उपावद्ध प्रथम या द्वितीय अनुसूची में फीसों से प्रभार्य के रूप में विनिर्दिष्ट किस्मों में से किसी किस्म की कोई भी दस्तावेज उक्त न्यायालयों में से किसी के समक्ष उसकी असाधारण आरम्भिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में;

या उसकी असाधारण आरम्भिक दाण्डिक अधिकारिता के प्रयोग में;

उनकी अपीली अधिकारिता में—या उक्त न्यायालय के एक या अधिक न्यायाधीशों के या खंड न्यायालय के उन <sup>5</sup>[निर्णयों से (जो न्यायालय की साधारण आरम्भिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में पारित निर्णयों से भिन्न हैं)] अपीलों के बारे में उसकी अधिकारिता के प्रयोग में;

या उसके अधीक्षण के अधीन न्यायालयों में अपीलों के बारे में उसकी अधिकारिता के प्रयोग में;

**निर्देश या पुनरीक्षण न्यायालय के रूप में**—या निर्देश या पुनरीक्षण न्यायालय के रूप में उसकी अधिकारिता के प्रयोग में;

आने वाले किसी मामले में ऐसे न्यायालय में फाइल, प्रदर्शित या अभिलिखित या ऐसे न्यायालय द्वारा प्राप्त की या दी न जाएगी जब तक कि उस दस्तावेज के बारे में उक्त अनुसूचियों में से किसी में भी ऐसी दस्तावेज के लिए उचित फीस के रूप में उपदर्शित फीस से अन्यून फीस संदत्त न कर दी गई हो ।

5. फीस की आवश्यकता या रकम की बाबत मतभेद होने की दशा में प्रक्रिया—जब उस अधिकारी के, जिसका कर्तव्य यह देखना है कि इस अध्याय के अधीन कोई फीस दी जाए, और किसी वादकर्ता या अटर्नी के बीच फीस के संदाय की आवश्यकता या उसकी रकम की बाबत कोई मतभेद पैदा होता है तब यदि मतभेद उक्त उच्च न्यायालयों में से किसी में पैदा होता है तो वह प्रश्न, विनिर्धारक अधिकारी को निर्देशित किया जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय तब के सिवाय अंतिम होगा, जब कि प्रश्न उसकी राय में सार्वजनिक महत्व का है, जिस दशा वह उसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के या उस उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश के, जिसे मुख्य न्यायमूर्ति साधारणतः या विशेषतः इस निमित्त नियुक्त करेगा, अंतिम विनिश्चय के लिए निर्देशित करेगा ।

यदि ऐसा कोई मतभेद उक्त लघुवाद न्यायालयों में से किसी में पैदा होता है तो वह प्रश्न न्यायालय-प्राधीक्षक को निर्देशित किया जाएगा, जिसका उस पर विनिश्चय तब के सिवाय अंतिम होगा, जब कि वह प्रश्न उसकी राय में सार्वजनिक महत्व का है, जिस दशा में वह उसे ऐसे न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश के अंतिम विनिश्चय के लिए निर्देशित करेगा ।

मुख्य न्यायमूर्ति यह घोषित करेगा कि कौन इस धारा के पहले पैरा के अर्थान्तर्गत विनिर्धारक अधिकारी होगा ।

## अध्याय 3

### अन्य न्यायालयों में और लोक कार्यालयों में फीसें

6. मुफ्सिसल न्यायालयों में या लोक कार्यालयों में फाइल आदि की गई दस्तावेजों पर फीसें—इस अधिनियम से उपावद्ध प्रथम या द्वितीय अनुसूची में प्रभार्य के रूप में विनिर्दिष्ट किस्म में से किसी किस्म की कोई भी दस्तावेज इसमें इसके पहले वर्णित न्यायालयों से भिन्न किसी न्यायालय में फाइल, प्रदर्शित या अभिलिखित या किसी लोक अधिकारी द्वारा प्राप्त की या दी न जाएगी जब तक कि उस दस्तावेज के बारे में उक्त अनुसूचियों में से किसी में भी ऐसी दस्तावेज के लिए उचित फीस के रूप में उपदर्शित फीस से अन्यून फीस संदत्त न कर दी गई हो ।

<sup>1</sup> विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा “वे न्यायालय जो भारत शासन अधिनियम, 1935 के प्रयोजनों के लिए उच्च न्यायालय है” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>2</sup> विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा “भाग के राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों के” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>3</sup> 1891 के अधिनियम सं० 12 द्वारा संख्या “16” निरसित ।

<sup>4</sup> प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1882 (1882 का 15) का अध्याय 10 देखिए ।

<sup>5</sup> 1922 के अधिनियम सं० 19 की धारा 2 द्वारा “दो निर्णयों से” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

**7. कतिपय वादों में संदेय फीसों की संगणना**—इसमें इसके पश्चात् वर्णित वादों में इस अधिनियम के अधीन संदेय फीस की संगणना नीचे लिखे अनुसार की जाएगी :—

(i) धन के वादों में—धन के वादों में (जिनके अंतर्गत नुकसानी या प्रतिकर के अथवा भरणपोषण, वार्षिकियों या कालावधिक रूप से संदेय अन्य धनराशियों की बकाया के वाद आते हैं)—दावाकृत रकम के अनुसार,

(ii) भरणपोषण और वार्षिकियों के वादों में—भरणपोषण या वार्षिकियों या कालावधिक रूप से संदेय अन्य धनराशियों के वादों में—वाद की विषयवस्तु के मूल्य के अनुसार और यह समझा जाएगा कि ऐसा मूल्य एक वर्ष के लिए संदेय दावाकृत रकम का दस गुना है,

(iii) बाजार-मूल्य वाली अन्य जंगम सम्पत्ति के वादों में—धन से भिन्न जंगम सम्पत्ति के वादों में, जहां विषयवस्तु का बाजार-मूल्य है—वादपत्र के पेश होने की तारीख पर ऐसा मूल्य के अनुसार,

(iv) बिना बाजार-मूल्य की जंगम सम्पत्ति के वादों में—

(क) जंगम सम्पत्ति के वादों में, जहां विषयवस्तु का कोई बाजार-मूल्य नहीं है, उदाहरणार्थ, हक सम्बन्धी दस्तावेजों के मामले में,

(ख) अविभक्त कुटुम्ब की संपत्ति में अंश के अधिकार को प्रवर्तित कराने के वादों में—किसी सम्पत्ति में इस आधार पर कि वह अविभक्त कुटुम्ब की सम्पत्ति है, अंश पाने के अधिकार को प्रवर्तित कराने के वादों में,

(ग) घोषणात्मक डिक्री और पारिणामिक अनुतोष के वादों में—घोषणात्मक डिक्री या आदेश अभिप्राप्त करने के वादों में, जहां पारिणामिक अनुतोष प्रार्थिक है,

(घ) व्यादेश के वादों में—व्यादेश अभिप्राप्त करने के वादों में,

(ङ) सुखाचार के लिए वादों में—भूमि से उद्भूत होने वाले किसी फायदे के अधिकार के (जिसके लिए यहां अन्य उपबन्ध नहीं है) वादों में; और

(च) लेखाओं के वादों में—

लेखाओं के वादों में—वादपत्र या अपील के ज्ञापन के लिए गए ईसित अनुतोष के मूल्यांकन की रकम के अनुसार;

इन सभी वादों में वादी ईसित अनुतोष के मूल्यांकन की रकम का कथन करेगा 1\*\*\*

(v) भूमि, गृहों और उद्यानों के कब्जे के वादों में—भूमि, गृहों और उद्यानों के कब्जे के वादों में—विषयवस्तु के मूल्य के अनुसार, और यह समझा जाएगा कि ऐसा मूल्य—

जहां विषयवस्तु भूमि है, और—

(क) जहां भूमि सरकार को वार्षिक राजस्व देने वाली सकल सम्पदा या सम्पदा का निश्चित अंश है, या ऐसी सम्पदा का भाग है और कलक्टर के रजिस्टर में यह अभिलिखित है कि उस पर ऐसा राजस्व पृथक्तः निर्धारित है, और ऐसा राजस्व स्थायी रूप से परिनिर्धारित है वहां—

ऐसे संदेय, राजस्व का दस गुना है;

(ख) जहां भूमि सरकार को वार्षिक राजस्व देने वाली सकल सम्पदा या सम्पदा का निश्चित अंश है या ऐसी सम्पदा का भागरूप है, और यथापूर्वोक्त अभिलिखित है;

और ऐसा राजस्व परिनिर्धारित है कि इन्हें स्थायी रूप से नहीं वहां—

ऐसे संदेय, राजस्व का पांच गुना है,

(ग) जहां भूमि ऐसा कोई भी राजस्व नहीं देती है या ऐसे संदाय से भागतः छूट प्राप्त है या ऐसे राजस्व के बदले किसी नियत संदाय से भागित है,

और वादपत्र के पेश होने की तारीख के ठीक पूर्व के वर्ष में उस भूमि से शुद्ध लाभ उद्भूत हुए हैं, वहां—

ऐसे शुद्ध लाभों का पन्द्रह गुना है;

किन्तु जहां ऐसे कोई भी शुद्ध लाभ उससे उद्भूत नहीं हुए हैं वहां—वह रकम है जो न्यायालय पड़ोस की वैसी ही भूमि के मूल्य के प्रति निर्देश से उस भूमि के लिए प्राक्कलित करेः

<sup>1</sup> 1891 के अधिनियम सं० 12 द्वारा “और सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंध धारा 31, ऐसे लागू होंगे मानो ‘दावा’ शब्द के लिए ‘ईसित अनुतोष’ शब्द प्रतिस्थापित किए गए थे” शब्दों का लोप किया गया।

(घ) जहां भूमि सरकार को राजस्व देने वाली किसी सम्पदा का भाग है, किन्तु ऐसी सम्पदा का निश्चित अंश नहीं है और यथा पूर्ववर्णित पृथक्कः निर्धारित नहीं है, वहां—उस भूमि का बाजार मूल्य है :

मुम्बई प्रेसिडेंसी के बारे में परन्तु—परन्तु मुम्बई के सपरिषद् गवर्नर के अधीन राज्यक्षेत्रों<sup>1</sup> में भूमि का मल्य निम्नलिखित समझा जाएगा—

(1) जहां भूमि तीस वर्ष से अनधिक के व्यवस्थापन पर धारित है और सरकार को पूरे निर्धारण का संदाय करती है, वहां—सर्वेक्षण-निर्धारण के पांच गुने के बराबर धनराशि;

(2) जहां भूमि स्थायी व्यवस्थापन पर या तीस वर्ष से अधिक की किसी कालावधि के व्यवस्थापन पर धारित है और सरकार को पूरे निर्धारण का संदाय करती है, वहां—सर्वेक्षण-निर्धारण के दस गुने के बराबर धनराशि; और

(3) जहां पूरा वार्षिक सर्वेक्षण-निर्धारण या उसका कोई भाग परिहृत कर दिया है, वहां—इस प्रकार परिहृत निर्धारण या निर्धारण के भाग के दस गुने के अतिरिक्त वह धनराशि जो इस परन्तुक, यथास्थिति, पैरा (1) या पैरा (2) के अधीन संगणित है।

**स्पष्टीकरण**—इस पैरा में यथा प्रयुक्त “सम्पदा” शब्द से अभिप्रेत है वह भूमि जो राजस्व का संदाय करने के लिए दायी है और जिसके लिए भू-स्वामी या कृषक या रैयत ने सरकार से अलग वचनबंध निष्पादित किया है या जिस पर ऐसे वचनबंध के अभाव में राजस्व पृथकः निर्धारित होता;

(इ) गृहों और उद्यानों के बादों में—जहां विषयवस्तु कोई गृह या उद्यान है, वहां—उस गृह या उद्यान के बाजार-मल्य के अनुसार;

(vi) शुफाधिकार प्रवर्तित कराने के वादों में—शुफाधिकार प्रवर्तित कराने के वादों में—उस भूमि, गृह या उद्यान के जिसके बारे में अधिकार का दावा किया जाए इस धारा के पैरा (5) के अनुसार संगणित मूल्य के अनुसार;

(vii) भू-राजस्व के समनुदेशिती के हित के बादों में—भू-राजस्व के समनुदेशिती के हित के लिए बादों में—वादपत्र के पेश किए जाने की तारीख के ठीक पहले के वर्ष के उसके इस प्रकार के शद्दू लाभों का पन्द्रह गना;

(viii) कुर्की अपास्त कराने के वादों में—भूमि की अथवा भूमि या राजस्व में के हित की कुर्की अपास्त कराने के वादों में—उस रकम के अनुसार जिसके लिए वह भूमि या हित कर्कि किया गया था :

परन्तु जहां ऐसी रकम उस भूमि या हित के मूल्य से अधिक है वहां फीस की रकम की संगणना ऐसे की जाएगी मानो वह दावा उस भूमि या हित के कब्जे के लिए हो;

(ix) मोचन के वादों में—बंधकदार के विरुद्ध बंधक सम्पत्ति के प्रत्युद्धरण के लिए वादों में; और बन्धकदार द्वारा बंधक के पुरोबंध के वादों में,

पुरोबन्ध के वादों में—या जहां बंधक सशर्त विक्रय द्वारा किया गया है वहां विक्रय को आत्यंतिक घोषित कराने के वादों में—

बंधपत्र द्वारा अभिव्यक्त प्रतिभूत मूलधन के अनुसार।

(x) विनिर्दिष्ट पालन के वादों में—निम्नलिखित के विनिर्दिष्ट पालन के वादों में—

(क) विक्रय की संविदा के वादों में—प्रतिफल की रकम के अनुसार;

(ख) वंधक की संविदा के बादों में—करार में प्रतिभूत रकम के अनुसार;

(ग) पटे की संविदा के बादों में—जारीना गा पिपिणा (गदि क्लोर्ट नो) और गतधि के पास्ते वर्षा के दौरान

लिए करार किए गए भाटक के योग की रकम के अनुसार;

(घ) पंचाट के वादों में—विवादग्रस्त रकम या सम्पत्ति के मूल्य के अनुसार;

वामी और अभिधारी के बीच के वादों में—भू-स्वामी और अभि-

(क) अभिधारी से पट्टे का प्रतिलेख परिदित्त कराने के लिए,

(ख) अधिभोगाधिकार रखने वाले अभिधारी

<sup>1</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनक्लन) आदेश, 1937 का पैरा 8 देखिए। इस उपबंध को दृष्टि में रखते हुए “मर्मड़ के सपरिषद् गवर्नर” पद को उपान्तर किए बिना

<sup>1</sup>[(गग) अभिधारी से, जिसके अन्तर्गत अभिधृति के पर्यवसान के पश्चात् अतिधारण करने वाला अभिधारी आता है, स्थावर सम्पत्ति के प्रत्युद्धरण के लिए,]

(घ) वेदखली की सूचना का प्रतिवाद करने के लिए,

(ङ) उस स्थावर सम्पत्ति के अधिभोग के प्रत्युद्धरण के लिए जिससे भू-स्वामी ने किसी अभिधारी को अवैध रूप से वेदखल कर दिया है, और

(च) भाटक के उपशमन के लिए—

वाद के पेश किए जाने की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के लिए संदाय उस [स्थावर सम्पत्ति] के जिसके प्रतिवाद में निर्देश है भाटक की रकम के अनुसार।

**8. प्रतिकर सम्बन्धी आदेश के विरुद्ध अपील के ज्ञापन पर फीस—भूमि का लोक प्रयोजनार्थ अर्जन<sup>3</sup> करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियम के अधीन प्रतिकर सम्बन्धी आदेश के विरुद्ध अपील के ज्ञापन पर इस अधिनियम के अधीन संदेय फीस की संगणना अधिनिर्णीत रकम और अपीलार्थी द्वारा दावाकृत रकम के बीच अन्तर के अनुसार की जाएगी।**

**9. शुद्ध लाभ या बाजार-मूल्य के विनिश्चयन की शक्ति—यदि न्यायालय यह विचार करने का कारण देखे कि धारा 7 के पैरा (5) और (6) में यथावर्णित किसी ऐसी भूमि, गृह या उद्यान के वार्षिक शुद्ध लाभों का या बाजार-मूल्य का प्राक्कलन गलत तौर पर किया गया है तो उनमें वर्णित किसी वाद में संदेय फीस की संगणना के प्रयोजनार्थ न्यायालय किसी उचित व्यक्ति को यह निर्देश देने वाला कमीशन निकाल सकेगा कि वह आवश्यक स्थानीय या अन्य अन्वेषण करे और उस पर न्यायालय को रिपोर्ट दे।**

**10. प्रक्रिया जहां शुद्ध लाभ या बाजार-मूल्य गलत तौर पर प्राक्कलित हुआ है—(i) यदि ऐसे किसी अन्वेषण के परिणामस्वरूप न्यायालय यह पाता है कि शुद्ध लाभों का या बाजार-मूल्य का प्राक्कलन गलत तौर पर किया गया है तो जितना प्राक्कलन होना चाहिए था यदि उससे अधिक हुआ है तो न्यायालय ऐसी फीस के रूप में अधिक दी गई रकम को स्वविवेकानुसार वापस कर सकेगा, किन्तु यदि प्राक्कलन अपर्याप्त हुआ है तो न्यायालय वादी से अपेक्षा करेगा कि वह उतनी अतिरिक्त फीस दे जितनी उक्त बाजार-मूल्य या शुद्ध लाभों का प्राक्कलन सही तौर पर किए जाने पर संदेय होती।**

(ii) ऐसी दशा में वाद अतिरिक्त फीस संदत्त किए जाने तक रोक दिया जाएगा। यदि अतिरिक्त फीस उस समय के अन्दर, जो न्यायालय नियत करेगा संदत्त नहीं की जाती है तो वाद खारिज कर दिया जाएगा।

4\*

\*

\*

\*

\*

**11. अंतःकालीन लाभों या लेखा के लिए वादों में प्रक्रिया जब डिक्रीत रकम दावाकृत रकम से अधिक है—अंतःकालीन लाभ के या स्थावर सम्पत्ति और अंतःकालीन लाभ के, या लेखा के लिए वादों में, यदि डिक्रीत लाभ या रकम दावाकृत लाभ से या उस रकम से, जिस पर वादी ने ईस्पित अनुतोष का मूल्यांकन किया है, अधिक है, तो डिक्री का निष्पादन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उचित आफिसर को वह अन्तर संदत्त न कर दिया जाए जो वस्तुतः संदत्त फीस और उस फीस में है जो इस प्रकार डिक्रीत संपूर्ण लाभों या रकम का समावेश वाद में होने पर संदेय होती।**

जहां अंतःकालीन लाभ की रकम का अभिनिश्चय डिक्री के निष्पादन के दौरान के लिए छोड़ दिया जाता है वहां, यदि इस प्रकार अभिनिश्चित लाभ दावाकृत लाभों से अधिक है तो डिक्री का आगे निष्पादन तब तक के लिए रोक दिया जाएगा जब कि वह अन्तर संदत्त नहीं कर दिया जाए जो वस्तुतः संदत्त फीस और उस फीस में है जो ऐसे अभिनिश्चित संपूर्ण लाभ का समावेश वाद में होने पर संदेय होती। यदि अतिरिक्त फीस उस समय के अन्दर जो न्यायालय नियत करेगा संदत्त नहीं की जाती है तो वाद खारिज कर दिया जाएगा।

**12. मूल्यांकन सम्बन्धी प्रश्नों का विनिश्चय—(i) किसी वादपत्र या अपील के ज्ञापन पर इस अध्याय के अधीन प्रभार्य फीस की रकम के अवधारण के प्रयोजनार्थ मूल्यांकन सम्बन्धी हर प्रश्न का विनिश्चय उस न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसमें, यथास्थिति, ऐसा वादपत्र या ज्ञापन फाइल किया जाता है और जहां तक वाद के पक्षकारों का सम्बन्ध है, ऐसा विनिश्चय अंतिम होगा।**

(ii) किन्तु जब कभी ऐसा कोई वाद किसी अपील, निर्देश या पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष आता है तब, यदि उस न्यायालय का यह विचार है कि उक्त प्रश्न का विनिश्चय गलत तौर पर किया गया है जिससे राजस्व का अपाय हुआ है तो, वह उस पक्षकार से, जिसने ऐसी फीस संदत्त की है, अपेक्षा करेगा कि वह उतनी अतिरिक्त फीस संदत्त करे जो उस प्रश्न का विनिश्चय सही तौर पर किए जाने पर संदेय होती, और धारा 10 के पैरा (ii) के उपबंध लागू होंगे।

**13. अपील के ज्ञापन पर संदत्त फीस की वापसी—यदि ऐसी किसी अपील या वादपत्र को जो सिविल प्रक्रिया संहिता<sup>4</sup> में वर्णित आधारों में से किसी आधार पर निचले न्यायालय द्वारा नामंजूर कर दिया गया है, ग्रहण कर लिए जाने का आदेश दिया जाता है**

<sup>1</sup> 1905 के अधिनियम सं० 6 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>2</sup> 1905 के अधिनियम सं० 6 की धारा 2 द्वारा “भूमि” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>3</sup> अब देखिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1)।

<sup>4</sup> 1891 के अधिनियम सं० 12 द्वारा खण्ड (iii) निरसित।

<sup>5</sup> अब सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) देखिए।

या यदि अपील में कोई वाद निचले न्यायालय द्वारा दोबारा विनिश्चय के लिए उसी संहिता की<sup>1</sup> धारा 351 में वर्णित आधारों में से किसी आधार पर प्रतिप्रेषित किया जाता है तो, अपील न्यायालय अपीलार्थी को एक प्रमाणपत्र अनुदत्त करेगा जो अपील के ज्ञापन पर संदत्त फीस की पूरी रकम कलकटर से वापस पाने के लिए उसे प्राधिकृत करेगा :

परन्तु यदि अपील में प्रतिप्रेषण की दशा में प्रतिप्रेषण का आदेश वाद की संपूर्ण विषयवस्तु के लिए नहीं है तो इस प्रकार अनुदत्त प्रमाणपत्र अपीलार्थी को विषयवस्तु के उस भाग या उन भागों पर, जिनके बारे में वाद प्रतिप्रेषित किया गया है, मूलतः संदेय फीस से अधिक फीस वापस पाने के लिए प्राधिकृत न करेगा।

**14. निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन की फीस की वापसी—जहां निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन<sup>2</sup> डिक्री की तारीख से नब्बेवें दिन या तत्पश्चात् पेश किया जाता है वहां न्यायालय, तब के सिवाय जब कि विलम्ब आवेदक की छिलाई से कारित हुआ है, उसे स्वविवेकानुसार एक प्रमाणपत्र अनुदत्त कर सकेगा, जो उसे आवेदन पर संदत्त फीस में से उतनी फीस कलकटर से वापस पाने के लिए प्राधिकृत करेगा जितनी उस फीस से अधिक है जो ऐसे दिन के पूर्व पेश किए जाने की दशा में संदेय होती।**

**15. जहां न्यायालय अपना पूर्व विनिश्चय भूल के आधार पर उलट देता है या उपांतरित कर देता है वहां फीस की वापसी—जहां निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन ग्रहण कर लिया जाता है और जहां पुनः सुनवाई पर न्यायालय अपना पूर्व विनिश्चय की विधि या तथ्य को भूल के आधार पर उलट देता है या उपांतरित कर देता है वहां आवेदक न्यायालय से एक प्रमाणपत्र पाने का हकदार होगा जो उसे <sup>3</sup>[आवेदन] पद संदत्त फीस में से उतनी फीस कलकटर से वापस पाने के लिए प्राधिकृत करेगा जितनी उस फीस से अधिक है जो ऐसे न्यायालय में दिए गए किसी अन्य आवेदन पर इस अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के संख्यांक 1 के खण्ड (ख) या खण्ड (घ) के अधीन संदेय होती।**

किन्तु इस धारा के पूर्ववर्ती भाग की कोई भी बात आवेदक को ऐसे प्रमाणपत्र का हकदार नहीं बनाएगी यदि वह उलटना या उपांतरण पूर्णतः या भागतः ऐसे नए साक्ष्य के कारण होता है जो आरंभिक सुनवाई में पेश किया जा सकता था।

**16. फीस का प्रतिदाय—जहां न्यायालय वाद के पक्षकारों को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 89 में निर्दिष्ट विवाद के निपटारे के ढंगों में से कोई ढंग निर्देशित करता है, वहां वादी न्यायालय से ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त करने का हकदार होगा जिसमें कलकटर से ऐसे वाद के संबंध में संदत्त फीस की पूरी रकम वापस प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो।]**

**17. बाहुल्य पूर्ण वाद—जहां किसी वाद में दो या अधिक सुभिन्न विषय समाविष्ट हैं वहां वादपत्र या अपील के ज्ञापन पर ऐसे विषयों में से हर एक का अलग-अलग समावेश करने वाले वादों में वादपत्रों या अपील के ज्ञापनों पर इस अधिनियम के अधीन दायी फीसों के योग की रकम प्रभार्य होगी।**

इस धारा के पूर्ववर्ती भाग की कोई भी बात सिविल प्रक्रिया संहिता<sup>4</sup> की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्ति पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी।

**18. परिवादियों की लिखित परीक्षा—जब ऐसे व्यक्ति की, जो सदोष परिरोध या सदोष अवरोध के अपराध का, या ऐसे अपराध से, जिसके लिए पुलिस अधिकारी वारण्ट के बिना गिरफ्तार कर सकते हैं, भिन्न किसी अपराध का परिवाद करता है और जिसने पहले ही कोई ऐसी अर्जी पेश नहीं की है जिस पर इस अधिनियम के अधीन फीस उद्गृहीत की गई है, प्रथम या एकमात्र परीक्षा दंड प्रक्रिया संहिता के उपबन्धों के अधीन लेखबद्ध की जाए तब परिवादी आठ आने की फीस का संदाय करेगा उस दशा के सिवाय जब न्यायालय ऐसे संदाय का परिहार करना ठीक समझे।**

**19. कतिपय दस्तावेजों को छूट—इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात निम्नलिखित दस्तावेजों को किसी फीस से प्रभार्य नहीं बनाएगी—**

(i) <sup>5</sup>[संघ के सशस्त्र बलों में से किसी के ऐसे सदस्य द्वारा] जो सिविल नियोजन में नहीं है, वाद संस्थित करने के लिए या उसमें प्रतिरक्षा करने के लिए निष्पादित मुख्तारनामा।

8\* \* \* \* \*

(iii) वाद की प्रथम सुनवाई के पश्चात् न्यायालय द्वारा मांगे गए लिखित कथन।

9\* \* \* \* \*

<sup>1</sup> इस निर्देश के लिए देखिए 1908 के अधिनियम सं० 5 अर्थात् प्रथम अनुसूची का आदेश 41, नियम 23।

<sup>2</sup> निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन के लिए देखिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 114 और प्रथम अनुसूची का आदेश 47।

<sup>3</sup> सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की प्रथम अनुसूची की सं० 4 और 5 और आगे भी देखिए।

<sup>4</sup> 1870 के अधिनियम सं० 20 की धारा 1 द्वारा “वादपत्र या अपील ज्ञापन” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>5</sup> 1999 के अधिनियम सं० 46 की धारा 34 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>6</sup> अब सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) देखिए।

<sup>7</sup> विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा “आफिसर, वारण्ट आफिसर, अनायुक्त आफिसर या हर मजेस्टी की प्राइवेट सेना के द्वारा” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>8</sup> 1891 के अधिनियम सं० 12 द्वारा खण्ड (ii) निरसित।

<sup>9</sup> 1889 के अधिनियम सं० 13 द्वारा खण्ड (iv) निरसित।

- (v) फोर्ट सेन्ट जार्ज की प्रेसिडेंसी में 'ग्राम सुंसिफों द्वारा विचारित वादों के वादपत्र ।
- (vi) उसी प्रेसिडेंसी की जिला पंचायतों के समक्ष वादों के वादपत्र और आदेशिकाएं ।
- (vii) 1816 के मद्रास रेगुलेशन 12 के अधीन कलक्टर के समक्ष वादों के वादपत्र ।
- (viii) जहां वह रकम या उस संपत्ति का मूल्य, जिसके बारे में प्रोबेट या प्रशासनपत्र या प्रमाणपत्र अनुदत्त किया जाएगा, एक हजार रुपए से अनधिक है वहां बिल का प्रोबेट, प्रशासनपत्र था और ऋणों तथा प्रतिभूतियों के सिवाय 1827 के बाम्बे रेग्युलेशन 8 के अधीन प्रमाणपत्र] ।
- (ix) कलक्टर या भू-राजस्व का व्यवस्थापन करने वाले अन्य अधिकारी, या राजस्व बोर्ड या राजस्व आयुक्त को भूमि के निर्धारण, या उस पर अधिकार या उसमें के हित के अभिनिश्चित किए जाने से संस्कृत वातों के संबंध में दिया गया आवेदन या अर्जी, यदि वह आवेदन या अर्जी ऐसे व्यवस्थापन के अंतिम पुष्टीकरण के पहले पेश की गई है ।
- (x) सिंचाई के लिए सरकारी जल के प्रदाय के संबंध में आवेदन ।
- (xi) खेती का विस्तार करने या भूमि का त्याग करने की इजाजत के लिए भू-राजस्व के किसी अधिकारी के समक्ष ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो सीधे सरकार से किए गए वचनबंध के अधीन ऐसी भूमि का धारक है जिसका राजस्व परिनिर्धारित तो है किन्तु स्थायी रूप से नहीं, पेश किया गया आवेदन ।
- (xii) भूमि के त्याग के लिए या भाटक की वृद्धि के लिए दी गई सूचना की तामील के लिए आवेदन ।
- (xiii) अभिकर्ता को करस्थम् करने का लिखित प्राधिकार ।
- (xiv) साध्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिए हाजिर होने के लिए किसी साक्षी या अन्य व्यक्ति को समन करने के लिए, या ऐसे प्रदर्श को, जो ऐसा शपथपत्र नहीं है जो न्यायालय में पेश किए जाने के आसन्न प्रयोजन के लिए तैयार किया गया है, पेश या फाइल करने के बारे में प्रथम आवेदन (जो उस अर्जी से भिन्न है जिसमें आपराधिक आरोप या इतिला अंतर्विष्ट है) ।
- (xv) दाण्डक मामलों में जमानतनामे, अभियोजन करने या साध्य देने के लिए मुचलके और स्वीय उपसंजाति के लिए या अन्य वातों के लिए मुचलके ।
- (xvi) किसी अपराध के बारे में पुलिस अधिकारी को या उसके समक्ष या क्रमशः मद्रास तथा मुंबई के सपरिषद् गवर्नरों के अधीन के राज्यक्षेत्रों के ३ग्रामों के ग्रामीणों या ४ग्राम पुलिस का या के समक्ष पेश किए जाने वाले या रखे जाने वाले अर्जी, आवेदन, आरोप या इतिला ।
- (xvii) कैदी या अन्य व्यक्ति द्वारा जो विवाध्यता के या किसी न्यायालय या उसके अधिकारियों के अवरोध के अधीन है आवेदन ।
- (xviii) लोक सेवक [भारतीय दंड संहिता (1860 का 457 में यथापरिभाषित], नगरपालिक अधिकारी, या किसी रेल कम्पनी के अधिकारी या सेवक का परिवाद ।
- (xix) सरकारी वनों में काष्ठ काटने की अनुज्ञा के लिए या ऐसे वनों से अन्यथा संबद्ध आवेदन ।
- (xx) सरकार द्वारा आवेदक को शोध धन के संदाय के लिए आवेदन ।
- (xxi) 1856 के अधिनियम<sup>१</sup> संख्यांक 20 के अधीन किए गए चौकीदारी निर्धारण के विरुद्ध या किसी नगरपालिक कर के विरुद्ध अपील की अर्जी ।
- (xxii) लोक प्रयोजनों के लिए संपत्ति के अर्जन<sup>२</sup> से संबंधित तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन प्रतिकर के लिए आवेदन ।
- (xxiii) 1869 के बंगाल<sup>३</sup> अधिनियम संख्यांक 2 (छोटा नागपुर की कतिपय भू-धृतियों को अभिनिश्चित, विनियमित और अभिलिखित करने के लिए) के अधीन नियुक्त विशेष आयुक्त को पेश की गई अर्जियां ।
- (xxiv) ४[इंडियन क्रिश्चियन मैरिज ऐक्ट, 1872 (1872 का 15) की धारा 45 और 48 के अधीन अर्जियां ।]

<sup>1</sup> मद्रास विलेज कोर्ट्स ऐक्ट, 1889 (1889 का मद्रास अधिनियम सं० 1) देखिए ।

<sup>2</sup> 1889 के अधिनियम संख्यांक 7 की धारा 13 द्वारा "और इस अधिनियम में उपावद्ध प्रथम अनुसूची, संख्यांक 12 में वर्णित प्रमाणपत्र" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>3</sup> 1816 का मद्रास विनियम सं० 11 और 1821 का मद्रास विनियम सं० 4 की धारा 6 देखिए ।

<sup>4</sup> बाम्बे विलेज पुलिस ऐक्ट, 1867 (1867 का बाम्बे अधिनियम सं० 8) की धारा 14, 15 और 16 देखिए ।

<sup>5</sup> बंगाल चौकीदारी ऐक्ट, 1856 ।

<sup>6</sup> अब भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) देखिए ।

<sup>7</sup> छोटा नागपुर टेन्योर ऐक्ट, 1869 ।

<sup>8</sup> 1872 के अधिनियम सं० 15 की धारा 2 द्वारा मूल खण्ड के स्थान पर प्रतिस्थापित, जो इस प्रकार पढ़ा जा सकता है:—

"विकठोरिया के सासनकाल के 14वें और 15वें वर्ष में, अध्याय 40 के अधीन (जो भारत में विवाह के लिए एक अधिनियम है), धारा 5 या 1852 के अधिनियम संख्यांक 5 की धारा 9 के अधीन अर्जियां ।"

## [अध्याय ३]

**प्रोबेट, प्रशासनपत्र और प्रशासन-प्रमाणपत्र**

**19क.** जहां बहुत अधिक न्यायालय फीस संदत्त की गई हो, वहां अवमुक्ति—जहां किसी विल के प्रोबेट के लिए या प्रशासनपत्र के लिए आवेदन करते समय किसी व्यक्ति ने मृतक की संपत्ति का प्राक्कलन उस मूल्य से जो तत्पश्चात् साबित होता है अधिक पर किया है और परिणामस्वरूप उसने उस पर बहुत अधिक न्यायालय फीस संदत्त की है वहां, यदि उस संपत्ति के सही मूल्य के अभिनिश्चय के छह मास के अन्दर ऐसा व्यक्ति उस [स्थानीय क्षेत्र के], जिसमें प्रोबेट या प्रशासनपत्र अनुदत्त किया गया है, मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी के समक्ष वह प्रोबेट या प्रशासनपत्र पेश करता है;

और ऐसे प्राधिकारी के मृतक की संपत्ति की शपथपत्र या प्रतिज्ञान द्वारा सत्यापित एक विशिष्टियुक्त तालिका और मूल्यांकन परिदृष्ट करता है,

और यदि उस प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि प्रोबेट या प्रशासनपत्र पर विधि की अपेक्षा से अधिक फीस संदत्त की गई थी,

तो वहां उक्त प्राधिकारी—

(क) प्रोबेट या प्रशासनपत्र पर के स्टाम्प को, यदि वह पहले ही रद्द न किया जा चुका हो, रद्द कर सकेगा;

(ख) उस पर जो न्यायालय फीस दी जानी चाहिए थी उसे सूचित करने के लिए अन्य स्टाम्प प्रतिस्थापित कर सकेगा; और

(ग) स्वविवेकानुसार, उनके अन्तर का संदाय वैसे ही अनुज्ञात कर सकेगा जैसे खराब हुए स्टाम्पों की दशा में किया जाता है या उसका प्रतिसंदाय धन के रूप में कर सकेगा।

**19ख.** जहां वे ऋण जो मृत व्यक्ति द्वारा शोध्य थे उसकी संपदा में से चुकाए गए हैं वहां अवमुक्ति—जब कभी ऐसे प्राधिकारी को समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दिया जाता है कि निष्पादक या प्रशासक ने मृतक द्वारा शोध्य ऋणों की इतनी रकम चुकाई है जो संपदा की रकम या मूल्य में से काटी जाने पर उसे घटाकर इतनी धनराशि कर देती है कि यदि वह संपदा की पूरी सकल रकम या उसका पूरा सकल मूल्य होती तो उस सम्पदा के बारे में अनुदत्त प्रोबेट या प्रशासनपत्र पर इस अधिनियम के अधीन उस पर वास्तव में दी गई फीस से कम फीस संदत्त करनी पड़ती,

तब ऐसा प्राधिकारी उस अन्तर को वापस कर सकेगा, परन्तु यह तब जब कि उसका दावा ऐसे प्रोबेट या प्रशासनपत्र की तारीख के पश्चात् तीन वर्ष के भीतर किया जाए।

किन्तु जब किसी विधिक कार्यवाही के कारण मृतक द्वारा शोध्य ऋण अभिनिश्चित या संदत्त नहीं किए गए हैं या उसकी चीजवस्तु प्रत्युद्धृत नहीं हुई है और उपलभ्य नहीं हुई है और उसके परिणामस्वरूप निष्पादक या प्रशासक ऐसे अन्तर की वापसी का दावा उक्त तीन वर्ष की अवधि के अन्दर करने से निवारित हो गया है तब उक्त प्राधिकारी ऐसा दावा करने के लिए ऐसा अतिरिक्त समय अनुज्ञात कर सकेगा जो उन परिस्थितियों में युक्तियुक्त प्रतीत हो।

**19ग.** अनेक अनुदानों की दशा में अवमुक्ति—जब कभी किसी संपदा की संपूर्ण संपत्ति के बारे में प्रोबेट या प्रशासनपत्र का 3\*\*\* अनुदान किया जा चुका है या किया जाता है और इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य पूरी फीस दी जा चुकी है या दी जाती है तब इस अधिनियम के अधीन कोई फीस प्रभार्य नहीं होगी जब उसी संपदा की संपूर्ण संपत्ति या उसके भाग के बारे में वैसा ही अनुदान किया जाए।

जब कभी ऐसा अनुदान किसी ऐसी संपत्ति के बारे में किया जा चुका है या किया जाता है, जो किसी संपदा की भागभूत है, तो इस अधिनियम के अधीन उस समय वस्तुतः संदत्त फीस की रकम तब काट ली जाएगी जब उसी संपदा की उस संपत्ति के बारे में, जो या तो वही है जिसके संबंध में पूर्ववर्ती अनुदान था, या उस संपत्ति में सम्मिलित है, वैसा ही अनुदान किया जाता है।

**19घ.** न्यास संपत्ति के बारे में प्रोबेटों की विधिमान्यता की घोषणा यद्यपि वह संपत्ति न्यायालय फीस देने में सम्मिलित नहीं की गई है—किसी मृत व्यक्ति की विल का प्रोबेट या उसकी चीजवस्तु का प्रशासनपत्र जो इसके पहले या इसके पश्चात् अनुदत्त होता है विधिमान्य समझा जाएगा और ऐसी किसी जंगम या स्थावर संपत्ति के, जिस पर मृतक का कब्जा या हक पूर्णतः या भागतः न्यासी के रूप में था, प्रत्युद्धरण, अंतरण या समनुदेशन के लिए उसके निष्पादकों या प्रशासकों द्वारा काम में लाया जा सकेगा यद्यपि ऐसी रकम या संपत्ति का मूल्य उस रकम या संपदा के मूल्य में सम्मिलित नहीं किया गया है जिसके बारे में न्यायालय फीस ऐसे प्रोबेट या प्रशासनपत्र पर दी गई थी।

**19इ.** उस दशा के लिए उपबंध जब प्रोबेट आदि पर बहुत कम न्यायालय फीस संदत्त की गई है—जहां किसी व्यक्ति ने प्रोबेट या प्रशासनपत्र के लिए आवेदन करते समय मृतक की संपदा का प्राक्कलन उस मूल्य से जो तत्पश्चात् साबित होता है कम पर किया है

<sup>1</sup> 1875 के अधिनियम सं० 13 की धारा 6 द्वारा अध्याय 3क अंतःस्थापित।

<sup>2</sup> 1901 के अधिनियम सं० 10 की धारा 3 द्वारा “प्रान्तो” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>3</sup> 1891 के अधिनियम सं० 12 द्वारा “ऐसा” शब्द निरसित।

और परिणामस्वरूप उसने उस पर बहुत कम न्यायालय फीस संदत्त की है वहां उस [स्थानीय क्षेत्र का,] जिसमें प्रोबेट या प्रशासनपत्र अनुदत्त किया गया है, मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी शपथपत्र या प्रतिज्ञान द्वारा मृतक की संपदा के मूल्य का सत्यापन किए जाने पर और उस संपूर्ण न्यायालय फीस का जो उस पर ऐसे मूल्य के बारे में मूलतः संदत्त की जानी चाहिए थी उस अतिरिक्त शास्ति सहित संदाय किए जाने पर जो ऐसी उचित फीस की उस दशा में पांच गुनी होगी जब प्रोबेट या प्रशासनपत्र अनुदान की तारीख से एक वर्ष के भीतर पेश किया जाता है और उस दशा में बीस गुनी होगी जब वह उस तारीख से एक वर्ष के पश्चात् पेश किया जाता है, ऐसे प्रोबेट या प्रशासनपत्र पर मूलतः संदत्त न्यायालय फीस बिना काटे किए जाने पर प्रोबेट या प्रशासनपत्र को सम्यक् रूप से स्टांपित करा सकेगा :

परन्तु यदि आवेदन संपदा का सही मूल्य अभिनिश्चित किए जाने के और इस तथ्य का कि प्रोबेट या प्रशासनपत्र पर आरम्भ में बहुत कम न्यायालय फीस संदत्त की गई है, पता लगने के पश्चात् छह मास के भीतर किया जाता है और यदि ऐसे प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि ऐसी फीस भूल के या उस समय यह बात कि संपदा का कोई विशिष्ट भाग मृतक का है, ज्ञात न होने के परिणामस्वरूप, और कपट करने के आशय के या उचित न्यायालय फीस के संदाय में विलम्ब करने के आशय के बिना, संदत्त की गई थी तो उक्त प्राधिकारी उक्त शास्ति का परिहार कर सकेगा, और जो फीस उस पर आरम्भ में संदत्त की जानी चाहिए थी उसे पूरा करने में जितनी कमी है केवल उसी के संदाय पर प्रोबेट या प्रशासनपत्र को सम्यक् रूप से स्टांपित करा सकेगा ।

**19च. धारा 19ज़ के अधीन प्रशासनपत्र स्टांपित किए जाने के पहले प्रशासक उचित प्रतिभूति देगा—**उस प्रशासनपत्र की दशा में जिस पर प्रारम्भ में बहुत कम न्यायालय फीस संदत्त की गई है उक्त प्राधिकारी उसे पूर्वोक्त रीति में सम्यक् रूप से स्टांपित तब तक नहीं कराएगा जब तक प्रशासक उस न्यायालय को जिसने प्रशासनपत्र अनुदत्त किया है ऐसी प्रतिभूति नहीं दे देता है जैसी यदि मृतक की संपदा का संपूर्ण मूल्य उस समय अभिनिश्चित हो जाता तो विधि के अनुसार उसके अनुदान के समय दी जाने चाहिए थी ।

**2[19छ. न्यून संदाय का पता लगने के छह मास के भीतर निष्पादकों आदि का प्रोबेट आदि पर पूर्ण न्यायालय फीस का संदाय न करना—**जहां किसी भूल के या उस समय यह बात कि संपदा का कोई विशिष्ट भाग मृतक का है, ज्ञात न होने के परिणामस्वरूप किसी प्रोबेट या प्रशासनपत्र पर बहुत कम न्यायालय फीस संदत्त की गई है वहां, यदि ऐसे प्रोबेट या प्रशासनपत्र के अधीन है कार्य करने वाला कोई निष्पादक या प्रशासक भूल का या उस चीजवस्तु का जिसका मृतक की सम्पत्ति होना उस समय ज्ञात नहीं था, पता लगने के पश्चात् 3\*\*\* छह मास के भीतर उक्त प्राधिकारी को आवेदन नहीं करता है और उस फीस की कमी को पूरा करने के लिए जो ऐसे प्रोबेट या प्रशासनपत्र पर आरम्भ में दी जानी चाहिए थी संदाय नहीं करता है तो उसकी एक हजार रुपए की धनराशि और उतनी अतिरिक्त धनराशि जो उचित न्यायालय में फीस की कमी के दस प्रतिशत के बराबर हो सम्पहृत हो जाएगी ।]

**4[19ज. प्रोबेट या प्रशासनपत्र के आवेदनों की सूचना का राजस्व प्राधिकारियों को दिया जाना और उस पर प्रक्रिया—**(1) जहां प्रोबेट या प्रशासनपत्र के लिए आवेदन उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय में किया जाता है वहां न्यायालय आवेदन की सूचना कलक्टर को दिलाएगा ।

(2) जहां यथापूर्वोक्त आवेदन उच्च न्यायालय में किया जाता है वहां उच्च न्यायालय उस आवेदन की सूचना [उस स्थानीय क्षेत्र के, जिसमें वह उच्च न्यायालय स्थित है,] मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी को दिलाएगा ।

(3) वह कलक्टर जिसकी राजस्व-अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर मृतक की संपत्ति या उसका कोई भाग है किसी भी समय किसी ऐसे मामले के, जिसमें प्रोबेट या प्रशासनपत्र के लिए आवेदन किया गया है, अभिलेख का निरीक्षण कर या करा सकेगा और उसकी प्रतिलिपियां ले या लिवा सकेगा, और यदि ऐसे निरीक्षण पर या अन्यथा उसकी यह राय है कि अर्जीदार ने मृतक की संपदा का मूल्य अवप्राक्कलित किया है तो यदि कलक्टर यह ठीक समझता है तो वह अर्जीदार से (स्वयं या अभिकर्ता द्वारा) हाजिर होने की अपेक्षा कर सकेगा और साक्ष्य ले सकेगा और मामले की ऐसी रीति से जांच कर सकेगा जैसी वह ठीक समझता है और यदि फिर भी उसकी राय है कि संपत्ति का मूल्य अवप्राक्कलित किया गया है तो वह अर्जीदार से मूल्यांकन को संशोधित करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(4) यदि अर्जीदार मूल्यांकन को ऐसे संशोधित नहीं करता है कि कलक्टर का उससे समाधान हो जाए तो जिस न्यायालय के समक्ष प्रोबेट या प्रशासनपत्र के लिए आवेदन किया गया था उससे उस संपत्ति के सही मूल्य की जांच करने के लिए कलक्टर आवेदन कर सकेगा :

परन्तु, यथास्थिति, इण्डियन सक्सेशन एक्ट, 1865<sup>5</sup> (1865 का 10) की धारा 277 या प्रोबेट एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट, 1881<sup>5</sup> (1881 का 5) की धारा 98 द्वारा अपेक्षित तालिका के प्रदर्शन की तारीख से छह मास का अवसान हो जाने के पश्चात् ऐसा कोई भी अभ्यावेदन नहीं किया जाएगा ।

(5) यथापूर्वोक्त आवेदन किए जाने पर न्यायालय तदनुसार जांच करेगा या कराएगा और उस निकटतम सही मूल्य का जो मृतक की संपत्ति का प्राक्कलित किया जाना चाहिए था, निष्कर्ष अभिलिखित करेगा । कलक्टर जांच का पक्षकार समझा जाएगा ।

<sup>1</sup> 1901 के अधिनियम सं० 10 की धारा 3(1) द्वारा “प्रान्त का” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>2</sup> धारा 19छ, धारा 19ज और आगे की धाराओं के अधीन शास्तियों या समपहरण की बाबत वसूली के लिए ।

<sup>3</sup> 1891 के अधिनियम सं० 12 द्वारा “1875 के अप्रैल के प्रथम दिन के पश्चात्, या” शब्दों और अंकों का निरसन किया गया ।

<sup>4</sup> 1899 के अधिनियम सं० 11 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित ।

<sup>5</sup> अब भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) देखिए ।

(6) ऐसी किसी जांच के प्रयोजनों के लिए न्यायालय या वह व्यक्ति जो जांच करने के लिए न्यायालय द्वारा प्राधिकृत किया गया है प्रोबेट या प्रशासनपत्र के अर्जीदार की परीक्षा (चाहे स्वयं या कमीशन द्वारा) कर सकेगा और ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा जो संपत्ति के सही मूल्य को साबित करने के लिए पेश किया जाए। जांच करने के लिए यथापूर्वोक्त प्राधिकृत व्यक्ति अपने द्वारा लिया गया साक्ष्य न्यायालय को वापस कर देगा और जांच के परिणाम की रिपोर्ट देगा, और ऐसी रिपोर्ट तथा इस प्रकार लिया गया साक्ष्य कार्यवाही में साक्ष्य होंगे, और न्यायालय तब के सिवाय जब कि उसका यह समाधान हो जाता है कि रिपोर्ट गलत है, रिपोर्ट के अनुसार निष्कर्ष अभिलिखित करेगा।

(7) न्यायालय का उपधारा (5) के अधीन अभिलिखित निष्कर्ष अन्तिम होगा, किन्तु उसके कारण धारा 19ङ के अधीन किसी आवेदन का मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी द्वारा ग्रहण किया जाना और निष्पादया जाना वर्जित न होगा।

(8) राज्य सरकार उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने में कलक्टरों के मार्गदर्शन के लिए नियम बना सकेगी।

<sup>1</sup>[19ज्ञ. प्रोबेट और प्रशासनपत्र के बारे में न्यायालय फीस का संदाय—(1) अर्जीदार को प्रोबेट या प्रशासनपत्र के अनुदान का हकदार बनाने वाला कोई भी आदेश ऐसे अनुदान के लिए किए गए किसी आवेदन पर तब तक नहीं किया जाएगा जब तक अर्जीदार संपत्ति का मूल्यांकन तृतीय अनुसूची में उपर्याप्त रूप में फाइल नहीं कर देता है और न्यायालय का समाधान नहीं हो जाता है कि उस मूल्यांकन पर प्रथम अनुसूची के संबंधांक 11 में वर्णित फीस का संदाय हो गया है।

(2) कलक्टर द्वारा धारा 19ज की उपधारा (4) के अधीन किए गए किसी अभ्यावेदन के कारण प्रोबेट या प्रशासनपत्र के अनुदान में कोई विलंब नहीं किया जाएगा।]

<sup>1</sup>[19ञ. शास्तियों आदि की वसूली—(1) धारा 19ज की उपधारा (6) के अधीन की गई जांच पर जितनी अधिक फीस संदेय पाई गई है उसे और धारा 19छ के अधीन शास्ति या समपहरण को मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी के प्रमाणपत्र पर किसी भी <sup>2\*\*\*</sup> कलक्टर द्वारा निष्पादक या प्रशासक से ऐसे वसूल किया जा सकेगा मानो वह राजस्व की बकाया हो।

(2) मुख्य नियंत्रणक राजस्व प्राधिकारी यथापूर्वोक्त शास्ति या समपहरण का अथवा धारा 19ङ के अधीन शास्ति का या धारा 19ङ के अधीन उस न्यायालय फीस का, जो उस पूरी न्यायालय फीस से, जिसका संदाय किया जाना चाहिए था, अधिक है, पूर्णतः या भागतः परिहार कर सकेगा।]

<sup>1</sup>[19ट. प्रोबेटों या प्रशासनपत्रों को धारा 6 और 28 का लागू न होना—धारा 6 या धारा 28 में की कोई भी बात प्रोबेटों या प्रशासनपत्रों को लागू नहीं होगी।]

#### अध्याय 4

##### आदेशिका फीसें

20. आदेशिकाओं के खर्च के बारे में नियम—उच्च न्यायालय यशाशक्य शीघ्र निम्नलिखित बातों के लिए नियम बनाएगा:—

(i) उस न्यायालय द्वारा अपनी अपीली अधिकारिता में निकाली गई और ऐसी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थापित अन्य सिविल या राजस्व न्यायालयों द्वारा निकाली गई आदेशिकाओं की तामील और निष्पादन के लिए प्रभार्य फीसें;

(ii) ऐसी सीमाओं के भीतर स्थापित दंड न्यायालयों द्वारा उन अपराधों के मामले में, जो उन अपराधों से भिन्न हैं जिनके लिए पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकते हैं, निकाली गई आदेशिकाओं की तामील और निष्पादन के लिए प्रभार्य फीसें; तथा

(iii) उन चपरासियों और अन्य सब व्यक्तियों का पारिश्रमिक जो न्यायालय इजाजत से आदेशिकाओं की तामील और निष्पादन में नियोजित हैं।

उच्च न्यायालय इस प्रकार बनाए गए नियमों में समय-समय पर परिवर्तन और परिवर्धन कर सकेगा।

नियमों का पुष्टीकरण और प्रकाशन—ऐसे सब नियम, परिवर्तन और परिवर्धन राज्य सरकार द्वारा पुष्ट किए जाने <sup>3\*\*\*</sup> के पश्चात् शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे और तदुपरि उन्हें विधि का बल प्राप्त होगा।

जब तक ऐसे नियम इस प्रकार बनाए और प्रकाशित न किए जाएं तब तक आदेशिकाओं की तामील और निष्पादन के लिए इस समय उद्ग्रहणीय फीसें उद्गृहीत की जाती रहेंगी और इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय फीसें समझी जाएंगी।

21. आदेशिका फीस की सारणियाँ—ऐसी तामील और निष्पादन के लिए प्रभार्य फीसें दर्शित करने वाली एक सारणी अंग्रेजी भाषा में और देशी भाषाओं में हर एक न्यायालय के सहजदृश्य भाग में अभिदर्शित की जाएगी।

<sup>1</sup> 1899 के अधिनियम सं० 11 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>2</sup> भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियम तथा अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948 द्वारा “त्रिटिश भारत के किसी भाग में” शब्द निरसित।

<sup>3</sup> 1920 के अधिनियम सं० 38 की धारा 2 तथा अनुसूची 1 द्वारा “और सपरिषद् गवर्नर जनरल द्वारा मंजूर किए जाने” शब्द निरसित।

**22. जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में चपरासियों की संख्या**—उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए और राज्य सरकार <sup>1\*\*\*</sup> द्वारा अनुमोदित नियमों के अधीन रहते हुए,

हर जिला न्यायाधीश और हर जिला मजिस्ट्रेट अपने न्यायालय से तथा अपने न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों में से हर एक से निकाली गई आदेशिकाओं की तामील और निष्पादन के लिए नियोजित किए जाने के लिए आवश्यक चपरासियों की संख्या नियत करेगा और उसमें समय-समय पर परिवर्तन कर सकेगा;

**सुफसिल लघुवाद न्यायालयों में चपरासियों की संख्या**—और 1865 के अधिनियम संख्यांक 11 (उच्च न्यायालयों की मासूली आरंभिक सिविल अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के बाहर के लघुवाद न्यायालयों संबंधी विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए)<sup>2</sup> के अधीन स्थापित हर लघुवाद न्यायालय इस धारा के प्रयोजनों के लिए जिला न्यायाधीश के न्यायालय के अधीनस्थ समझा जाएगा।

**23. राजस्व न्यायालयों में चपरासियों की संख्या**—मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी द्वारा बनाए गए और राज्य सरकार <sup>1\*\*\*</sup> द्वारा अनुमोदित नियमों के अधीन रहते हुए जिले के कलक्टर के कृत्यों का पालन करने वाला हर अधिकारी अपने न्यायालय से या अपने अधीनस्थ न्यायालयों से निकाली गई आदेशिकाओं की तामील और निष्पादन के लिए नियोजित किए जाने के लिए आवश्यक चपरासियों की संख्या नियत करेगा और उसमें समय-समय पर परिवर्तन कर सकेगा।

**24. [इस अध्याय के अधीन तामील की गई आदेशिका सिविल प्रक्रिया संहिता के अर्थात् तामील की गई आदेशिका मानी जाएगी ।]** निरसन और संशोधन अधिनियम, 1891 (1891 का 12) द्वारा निरसित।

#### अध्याय 5

##### फीसों के उद्घारण के ढंग के विषय में

**25. फीसों की स्टाम्प द्वारा वसूली**—धारा 3 में निर्दिष्ट या इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य सब फीसें स्टाम्पों द्वारा वसूली की जाएंगी।

**26. स्टाम्पों का छापित या आसंजक होना**—इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य किसी फीस को द्योतन करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले स्टाम्प छापित या आसंजक अथवा भागतः छापित और भागतः आसंजक होंगे जैसा <sup>3[समुचित सरकार]</sup> शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय-समय पर निर्देश<sup>4</sup> दे।

**27. स्टाम्पों के प्रदाय, संख्या, नवीकरण, और लेखे रखे जाने के लिए नियम**—<sup>3[समुचित सरकार]</sup> निम्नलिखित के विनियमन के लिए समय-समय पर नियम बना सकेगी :—

- (क) इस अधिनियम के अधीन उपयोग में लाए जाने वाले स्टाम्पों का प्रदाय;
- (ख) इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य फीस का द्योतन करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले स्टाम्पों की संख्या;
- (ग) नुकसानग्रस्त या खराब हुए स्टाम्पों का नवीकरण; तथा
- (घ) इस अधिनियम के अधीन उपयोग में लाए गए सब स्टाम्पों का लेखा रखना :

परन्तु उच्च न्यायालय में धारा 3 के अधीन उपयोग में लाए गए स्टाम्पों की दशा में ऐसे नियम उस न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से बनाए जाएंगे।

ऐसे सब नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे और तदुपरि उन्हें विधि का बल प्राप्त होगा।

**28. अनवधानता से ले ली गई दस्तावेज का स्टाम्पित किया जाना**—कोई भी दस्तावेज जिस पर इस अधिनियम के अधीन स्टाम्प होना चाहिए विधिमान्य नहीं होगी यदि और जब तक वह उचित रूप से स्टाम्पित नहीं है।

किन्तु यदि ऐसी कोई दस्तावेज भूल या अनवधानता से किसी न्यायालय या कार्यालय में ले ली जाती है, फाइल कर ली जाती है या उपयोग में लाई जाती है तो, यथास्थिति, पीठासीन न्यायाधीश या कार्यालय का प्रधान या उच्च न्यायालय की दशा में ऐसे न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश यदि वह ठीक समझे तो, आदेश दे सकेगा कि ऐसी दस्तावेज उसके निदेशानुसार स्टाम्पित की जाए और ऐसी दस्तावेज के तदनुसार स्टाम्पित हो जाने पर वह तथा उससे सम्बन्धित हर कार्यवाही वैसे ही विधिमान्य होगी मानो वह आरम्भ में ही उचित रूप से स्टाम्पित थी।

<sup>1</sup> 1920 के अधिनियम सं० 38 की धारा 2 तथा अनुसूची 1 द्वारा “और सपरिपद् गवर्नर जनरल” शब्द निरसित।

<sup>2</sup> 1865 के अधिनियम सं० 11 के प्रति निर्देशों को अब प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1887 (1887 का 9) के प्रति निर्देश पढ़ा जाना चाहिए। देखिए उस अधिनियम की धारा 2(3)।

<sup>3</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “स्थानीय सरकार” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>4</sup> छापित और आसंजक स्टाम्पों द्वारा न्यायालय फीसों के उद्घारण सम्बन्धी नियमों के लिए देखिए भारत का राजपत्र (अंग्रेजी) 1883, भाग 1, पृष्ठ 189।

**29. संशोधित दस्तावेज**—जहां ऐसी कोई दस्तावेज केवल भूल का सुधार करने और उसे पक्षकारों के मूल आशय के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से संशोधित की जाती है वहां उस पर नया स्टाम्प शुल्क अधिरोपित करना आवश्यक न होगा।

**30. स्टाम्प का रद्द किया जाना**—कोई भी दस्तावेज जिस पर इस अधिनियम के अधीन स्टाम्प अपेक्षित है किसी भी न्यायालय या कार्यालय में जब तक स्टाम्प रद्द नहीं कर दिया जाए तब तक न तो फाइल की जाएगी और न उस पर कार्रवाई की जाएगी।

ऐसा अधिकारी जिसे न्यायालय या कार्यालय का प्रधान समय-समय पर नियुक्त करे ऐसी किसी दस्तावेज की प्राप्ति पर तुरन्त उसका रद्दकरण उसके चित्र शीर्ष को ऐसे पंच करके करेगा कि स्टाम्प पर अभिहित उसका मूल्य अद्यता रहे और पंच करने से निकला भाग जला दिया जाएगा या अन्यथा नष्ट कर दिया जाएगा।

## अध्याय 6

### प्रक्रीण

**31. [दाण्डिक न्यायालयों का आवेदन पर दी गई फीस का प्रतिसंदाय ।]**—दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1923 (1923 का 18) की धारा 163 द्वारा निरसित।

**32. [1859 के अधिनियम सं० 8 और 1869 के अधिनियम सं० 9 का संशोधन ।]**—निरसन और संशोधन अधिनियम, 1891 (1891 का 12) द्वारा निरसित।

**33. दाण्डिक मामलों में ऐसी दस्तावेजों का ग्रहण किया जाना जिनके लिए उचित फीस संदर्त नहीं की गई है—जब कभी पीठासीन न्यायाधीश की राय में दण्ड न्यायालय में किसी ऐसी दस्तावेज का, जिसके बारे में उचित फीस संदर्त नहीं की गई है, फाइल या प्रदर्शित किया जाना न्याय की निष्फलता के निवारण के लिए आवश्यक है, तब धारा 4 या धारा 6 में अन्तर्विष्ट कोई भी बात ऐसे फाइल या प्रदर्शित किए जाने का प्रतिषेध करने वाली न समझी जाएगी।**

**<sup>1</sup>[34. स्टाम्पों का विक्रय—(1) [समुचित सरकार]** इस अधिनियम के अधीन उपयोग में लाए जाने वाले स्टाम्पों के विक्रय के विनियमन के लिए, उन व्यक्तियों के लिए जिनके द्वारा ही ऐसा विक्रय किया जाएगा और ऐसे व्यक्तियों के कर्तव्यों और पारिश्रमिक के लिए समय-समय पर नियम बना सकेगी।

(2) ऐसे सब नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे और तदुपरि उन्हें विधि का बल प्राप्त होगा।

(3) स्टाम्प बेचने के लिए नियुक्त किया गया व्यक्ति जो इस धारा के अधीन बनाए गए किसी नियम की अवज्ञा करेगा, और ऐसे नियुक्त न किया गया व्यक्ति जो स्टाम्प बेचेगा या विक्रय के लिए प्रस्थापित करेगा, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।]

**35. फीस को कम करने या उसका परिहार करने की शक्ति—<sup>2</sup>[समुचित सरकार]** इस अधिनियम से उपावद्ध प्रथम या द्वितीय अनुसूची में वर्णित सब फीसों को या उनमें से किसी को भी <sup>3</sup>[अपने प्रशासनाधीन] संपूर्ण <sup>3</sup>[राज्यक्षेत्र] में या उसके किसी भाग में समय-समय पर शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कम कर सकेगी या पारित कर सकेगी, और उसी रीति से ऐसे आदेश को रद्द कर सकेगी या उसमें फेरफार कर सकेगी।

**36. उच्च न्यायालयों के कुछ अधिकारियों की फीसों के बारे में व्यावृत्ति—**इस अधिनियम के अध्याय 2 और 5 की कोई भी बात फोर्ट विलियम के उच्च न्यायालय के महालेखापाल को संदेय कमीशन को, या उन फीसों को जिन्हें उच्च न्यायालय का कोई अधिकारी अपने संबलम के अतिरिक्त प्राप्त करने के लिए अनुज्ञात है, लागू नहीं होगी।

<sup>1</sup> 1891 के अधिनियम सं० 12 द्वारा मूल धारा के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>2</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “स्थानीय सरकार” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>3</sup> 1920 के अधिनियम सं० 38 की धारा 2 तथा अनुसूची 1 द्वारा “ब्रिटिश भारत” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

## अनुसूची 1

### मूल्यानुसार फीस

संख्यांक		उचित फीस
	जब रकम या विवादग्रस्त का मूल्य पांच रुपए से अधिक नहीं है।	छह आने।
	जब ऐसी रकम या मूल्य पांच रुपए से अधिक है तब पांच रुपए से ऊपर के हर पांच रुपए या उसके भाग पर सौ रुपए तक।	छह आने।
	जब ऐसी रकम या मूल्य सौ रुपए से अधिक है तब सौ रुपए से ऊपर के हर दस रुपए या उसके भाग पर एक हजार रुपए तक।	बारह आने।
	जब ऐसी रकम या मूल्य एक हजार रुपए से अधिक है तब एक हजार रुपए से ऊपर के हर सौ रुपए या उसके भाग पर पांच हजार रुपए तक।	पांच रुपए।
1.	जब ऐसी रकम या मूल्य पांच हजार रुपए से अधिक है तब पांच हजार रुपए से ऊपर के हर ढाई सौ रुपए या उसके भाग पर दस हजार रुपए तक।	दस रुपए।
	जब ऐसी रकम या मूल्य दस हजार रुपए से अधिक है तब दस हजार रुपए से ऊपर के हर पांच सौ रुपए या उसके भाग पर बीस हजार रुपए तक।	पंद्रह रुपए।
	जब ऐसी रकम या मूल्य बीस हजार रुपए से अधिक है तब बीस हजार रुपए से ऊपर के हर एक हजार रुपए या उसके भाग पर तीस हजार रुपए तक।	बीस रुपए।
	जब ऐसी रकम या मूल्य तीस हजार रुपए से अधिक है तब तीस हजार रुपए से ऊपर के हर दो हजार रुपए या उसके भाग पर पचास हजार रुपए तक।	बीस रुपए।
	जब ऐसी रकम या मूल्य पचास हजार रुपए से अधिक है तब, पचास हजार रुपए से ऊपर के हर पांच हजार रुपए या उसके भाग पर :	पच्चीस रुपए।
	परन्तु वादपत्र या अपील के ज्ञापन पर उद्ग्रहणीय अधिकतम फीस तीन हजार रुपए होगी।	
2.	4[विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1877 की धारा 9] के अधीन कब्जे के बाद वादपत्र <sup>3***</sup> ।	पूर्वगामी मापमान में विहित रकम की आधी फीस।
3.	[इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1871 द्वारा निरसित (1871 का 8)]।	
4.	निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन <sup>5</sup> , यदि वह डिक्री की तारीख से नब्बे दिन या तत्पश्चात् उपस्थापित किया गया है।	वादपत्र या अपील के ज्ञापन पर उद्ग्रहणीय फीस।

<sup>1</sup> वाद संस्थित करने पर उद्ग्रहणीय समुचित फीस को अभिनिश्चित करने के लिए, इस अनुसूची से उपावद्ध तालिका देखिए।

<sup>2</sup> 1908 के अधिनियम सं० 5 की धारा 155 और अनुसूची IV द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>3</sup> 1870 के अधिनियम सं० 20 द्वारा “या अपील ज्ञापन” शब्द निरसित।

<sup>4</sup> 1891 के अधिनियम सं० 12 द्वारा “1859 का अधिनियम सं० 14 (वादों की परिसीमा के लिए उपबंध करने के लिए)”, के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>5</sup> निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन की बाबत, देखिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का अधिनियम सं० 5)।

संख्यांक		उचित फीस
5. निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन, यदि वह डिक्री की तारीख से नव्वेबे दिन के पहले उपस्थापित किया गया है।	...	वादपत्र या अपील के ज्ञापन पर उद्ग्रहणीय फीस की आधी।
6. निर्णय की या ऐसे आदेश की, जो डिक्री नहीं है या जिसे डिक्री का बल प्राप्त नहीं है, प्रतिलिपि या अनुवाद।	<p>[जब ऐसा निर्णय या आदेश उच्च न्यायालय से भिन्न किसी सिविल न्यायालय द्वारा या किसी राजस्व न्यायालय या कार्यालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा या किसी अन्य न्यायिक या कार्यपालक अधिकारी द्वारा पारित किया गया है—</p> <p>(क) यदि रकम या विषयवस्तु का मूल्य पचास रुपए या उससे कम है।</p> <p>(ख) यदि ऐसी रकम या ऐसा मूल्य पचास रुपए से अधिक है।</p> <p>जब ऐसा निर्णय या आदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित है।</p>	<p>चार आने।</p> <p>आठ आने।</p> <p>एक रुपया।</p>
7. डिक्री की या डिक्री के बल वाले आदेश की प्रतिलिपि।	<p>[जब ऐसी डिक्री या आदेश उच्च न्यायालय से भिन्न किसी सिविल न्यायालय द्वारा या किसी राजस्व न्यायालय द्वारा किया गया है—</p> <p>(क) यदि उस वाद की जिसमें ऐसी डिक्री या आदेश किया गया है, रकम या विषयवस्तु का मूल्य पचास रुपए या उससे कम है।</p> <p>(ख) यदि ऐसी रकम या ऐसा मूल्य पचास रुपए से अधिक है।</p> <p>जब ऐसी डिक्री या आदेश उच्च न्यायालय द्वारा किया गया है।</p>	<p>आठ आने।</p> <p>एक रुपया।</p> <p>चार रुपया।</p>
8. इंडियन स्टाम्प एकट, 1879 <sup>2</sup> (1879 का 1) के अधीन स्टाम्प शुल्क के लिए दायी किसी दस्तावेज की प्रतिलिपि जब वह वाद या कार्यवाही के किसी पक्षकार द्वारा वापस लिए गए मूल के स्थान पर छोड़ी जाए।	<p>(क) जबकि मूल पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क आठ आने से अधिक नहीं है।</p> <p>(ख) किसी अन्य दशा में।</p>	<p>मूल पर प्रभार्य शुल्क।</p> <p>आठ आने।]</p>
9. ऐसी राजस्व या न्यायिक कार्यवाही या आदेश की प्रतिलिपि, जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा अन्यथा उपबन्ध नहीं किया गया है, या किसी सिविल या दाण्डिक या राजस्व न्यायालय या कार्यालय से, या किसी खंड के कार्यपालक प्रशासन का भारसाधन करने वाले मुख्य अधिकारी के कार्यालय से ली गई किसी लेखा, विवरण, रिपोर्ट या ऐसे ही अन्य दस्तावेज की प्रतिलिपि।	प्रति तीन सौ साठ शब्दों या उनके भाग के लिए।	आठ आने।
10. [संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 (1890 का 8)] द्वारा निरसित]।	...	...

<sup>1</sup> निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन की बाबत, देखिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का अधिनियम सं० 5)।

<sup>2</sup> अब भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) देखिए।

संख्यांक	उचित फीस
	ऐसी रकम या मूल्य का दो प्रतिशत।
	ऐसी रकम या ऐसे मूल्य का ढाई प्रतिशत।
	ऐसी रकम या ऐसे मूल्य का तीन प्रतिशत।]
<sup>1</sup> [जब वह रकम या उस संपत्ति का मूल्य जिसके बारे में प्रोबेट या प्रशासनपत्र अनुदत्त किया जाता है, एक हजार रुपए से अधिक है किन्तु दस हजार रुपए से अधिक नहीं है।	
<sup>2</sup> [जब ऐसी रकम या ऐसा मूल्य दस हजार रुपए से अधिक है किन्तु पचास हजार रुपए से अधिक नहीं है।	
<sup>3</sup> [जब ऐसी रकम या ऐसा मूल्य पचास हजार रुपए से अधिक है:	
<sup>2</sup> [11. विल का प्रोबेट या प्रशासनपत्र, चाहे विल उपाबद्ध हो या नहीं।	परन्तु जब संपदा में सम्मिलित किसी संपत्ति के बारे में सक्षेशन सर्टिफिकेट एक्ट, 1889 (1889 का 7) के अधीन या मुम्बई संहिता के 1827 के विनियम संख्यांक VIII के अधीन प्रमाणपत्र अनुदत्त किए जाने के पश्चात् उसी संपदा के बारे में प्रोबेट या प्रशासनपत्र अनुदत्त किया जाता है तब पश्चात्वर्ती अनुदान के बारे में सदेय फीस में से उस फीस की रकम घटा दी जाएगी जो पूर्ववर्ती अनुदान के बारे में संदर्भ की गई है।
<sup>3</sup> [12. सक्षेशन सर्टिफिकेट एक्ट, 1889 (1889 का 7) के अधीन प्रमाणपत्र।	उस अधिनियम की धारा 8 के अधीन प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट क्रृण या प्रतिभूति की रकम या मूल्य का दो प्रतिशत और उस क्रृण या प्रतिभूति की रकम या मूल्य का जिस पर प्रमाणपत्र का विस्तार उस अधिनियम की धारा 10 के अधीन किया जाता है—तीन प्रतिशत।
	टिप्पण—(1) क्रृण की रकम, जिसके अन्तर्गत ब्याज आता है, वह रकम है जो उस दिन है जब क्रृण को प्रमाणपत्र में सम्मिलित करने के लिए आवेदन किया जाता है, जहां तक वह रकम अभिनिश्चित की जा सकती है।
	(2) चाहे प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट किसी प्रतिभूति के बारे में कोई शक्ति अधिनियम के अधीन प्रदत्त की गई हो या नहीं, और जहां ऐसी शक्ति इस प्रकार प्रदत्त की गई है वहां चाहे वह शक्ति, प्रतिभूति पर ब्याज या लाभांश प्राप्त करने के लिए हो या प्रतिभूति का परक्रामण या अंतरण करने के लिए हो या दोनों प्रयोजन के लिए हो; प्रतिभूति का मूल्य उसका उस दिन का बाजार मूल्य है जब प्रतिभूति को प्रमाणपत्र में सम्मिलित करने के लिए आवेदन किया जाता है जहां तक कि वह मूल्य अभिनिश्चित किया जा सकता है।]

<sup>1</sup> 1910 के अधिनियम सं० 7 की धारा 2 द्वारा इन मदों को प्रतिस्थापित किया गया।

<sup>2</sup> 1889 के अधिनियम सं० 7 की धारा 13 द्वारा मूल अनुच्छेद 11 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>3</sup> 1889 के अधिनियम सं० 7 की धारा 13 द्वारा मूल अनुच्छेद 12 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

संख्यांक	उचित फीस
<sup>1</sup> [12क. मुंबई संहिता के 1827 के विनियम <sup>2</sup> [(1) ऋणों और प्रतिभूतियों के बारे में। संख्यांक 8 के अधीन प्रमाणपत्र।]	वही फीस जो सक्सेशन सर्टिफिकेट ऐक्ट, 1889 (1889 का 7) के अधीन प्रमाणपत्र के बारे में, या, यथास्थिति, ऐसे प्रमाणपत्र का विस्तार किए जाने के बारे में संदेय है।
(2) ऐसी अन्य संपत्ति के बारे में जिसकी बाबत प्रमाणपत्र अनुदत्त किया जाता है—	जब ऐसी सम्पत्ति की रकम या मूल्य एक हजार रुपए से अधिक है, किन्तु दस हजार रुपए से अधिक नहीं है।
	जब ऐसी रकम या मूल्य का दो एसी रकम या मूल्य का दो अधिक है किन्तु पचास हजार रुपए से अधिक नहीं है।
	जब ऐसी रकम या मूल्य पचास हजार रुपए से अधिक है।
<sup>3</sup> 13. पंजाब कोर्ट्स ऐक्ट, 1918 (1918 का 6) पंजाब अधिनियम की धारा 44 के अधीन <sup>4</sup> [पंजाब उच्च न्यायालय] में उसकी अधिकारिता के प्रयोजन के लिए या पंजाब टेनेन्सी ऐक्ट, 1887 (1887 का 16) की धारा 84 के अधीन पंजाब के वित्तीय आयुक्त के न्यायालय में उसकी पुनरीक्षण अधिकारिता के प्रयोग के लिए आवेदन।	जब रकम या विवादग्रस्त विषय वस्तु का मूल्य पच्चीस दो रुपए से अधिक नहीं है।
14. [भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन आदेश, 1937 द्वारा निरसित)]	जब ऐसी रकम या मूल्य पच्चीस रुपए से अधिक है।
15. [निरसन और संशोधन अधिनियम, 1923 (1923 का 11) की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा निरसित।]	अपील के ज्ञापन पर उद्घग्नीय फीस।

<sup>1</sup> 1889 के अधिनियम सं० 7 की धारा 13 द्वारा मूल अनुच्छेद 12क के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>2</sup> 1910 के अधिनियम सं० 7 की धारा 2 द्वारा इन मदों का प्रतिस्थापित किया गया।

<sup>3</sup> मूलतः पंजाब कोर्ट्स ऐक्ट, 1884 (1884 का 18) की धारा 71 द्वारा अंतःस्थापित किया गया, जिसका कि पंजाब कोर्ट्स ऐक्ट, 1899 (1899 का 25) की धारा 6 द्वारा संशोधन किया गया था। पंजाब कोर्ट्स (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 1912 (1912 का पंजाब अधिनियम 1) की धारा 5 द्वारा पंजाब में अनुच्छेद 13 को निरसित किया गया; किन्तु अब इसे कोर्ट फीस (पंजाब अमेंडमेंट) ऐक्ट, 1922 (1922 का 7) द्वारा इस रूप में पुनर्जीवित किया गया है।

<sup>4</sup> भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियम तथा अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948 द्वारा “लाहौर के उच्च न्यायालय” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

वादों के संस्थित किए जाने पर मूल्यानुसार उद्ग्रहणीय फीसों की दरों की सारणी

जब रकम या विषय-वस्तु का मूल्य निम्नलिखित से अधिक है	किन्तु निम्नलिखित से अधिक नहीं है	उचित फीस		
1	2	3	आ०	पा०
₹०	₹०	₹०	आ०	पा०
--	5	0	6	0
5	10	0	12	0
10	15	1	2	0
15	20	1	8	0
20	25	1	14	0
25	30	2	4	0
30	35	2	10	0
35	40	3	0	0
40	45	3	6	0
45	50	3	12	0
50	55	4	2	0
55	60	4	8	0
60	65	4	14	0
65	70	5	4	0
70	75	5	10	0
75	80	6	0	0
80	85	6	6	0
85	90	6	12	0
90	95	7	2	0
95	100	7	8	0
100	110	8	4	0
110	120	9	0	0
120	130	9	12	0
130	140	10	8	0
140	150	11	4	0
150	160	12	0	0
160	170	12	12	0
170	180	13	8	0
180	190	14	4	0
190	200	15	0	0
200	210	15	12	0
210	220	16	8	0
220	230	17	4	0
230	240	18	0	0

1 ₹०	2 ₹०	3 ₹०	આ०	પા०
240	250	18	12	0
250	260	19	8	0
260	270	20	4	0
270	280	21	0	0
280	290	21	12	0
290	300	22	8	0
300	310	23	4	0
310	320	24	0	0
320	330	24	12	0
330	340	25	8	0
340	350	26	4	0
350	360	27	0	0
360	370	27	12	0
370	380	28	8	0
380	390	29	4	0
390	400	30	0	0
400	410	30	12	0
410	420	31	8	0
420	430	32	4	0
430	440	33	0	0
440	450	33	12	0
450	460	34	8	0
460	470	35	4	0
470	480	36	0	0
480	490	36	12	0
490	500	37	8	0
500	510	38	4	0
510	520	39	0	0
520	530	39	12	0
530	540	40	8	0
540	550	41	4	0
550	560	42	0	0
560	570	42	12	0
570	580	43	8	0
580	590	44	4	0
590	600	45	0	0
600	610	45	12	0

1	2	3		
₹०	₹०	₹०	આ॰	પા॰
610	620	46	8	0
620	630	47	4	0
630	640	48	0	0
640	650	48	12	0
650	660	49	8	0
660	670	50	4	0
670	680	51	0	0
680	690	51	12	0
690	700	52	8	0
700	710	53	4	0
710	720	54	0	0
720	730	54	12	0
730	740	55	8	0
740	750	56	4	0
750	760	57	0	0
760	770	57	12	0
770	780	58	8	0
780	790	59	4	0
790	800	60	0	0
800	810	60	12	0
810	820	61	8	0
820	830	62	4	0
830	840	63	0	0
840	850	63	12	0
850	860	64	8	0
860	870	65	4	0
870	880	66	0	0
880	890	66	12	0
890	900	67	8	0
900	910	68	4	0
910	920	69	0	0
920	930	69	12	0
930	940	70	8	0
940	950	71	4	0
950	960	72	0	0
960	970	72	12	0
970	980	73	8	0

1 ₹०	2 ₹०	3 ₹०	આ०	પા०
980	990	74	4	0
990	1,000	75	0	0
1,000	1,100	80	0	0
1,100	1,200	85	0	0
1,200	1,300	90	0	0
1,300	1,400	95	0	0
1,400	1,500	100	0	0
1,500	1,600	105	0	0
1,600	1,700	110	0	0
1,700	1,800	115	0	0
1,800	1,900	120	0	0
1,900	2,000	125	0	0
2,000	2,100	130	0	0
2,100	2,200	135	0	0
2,200	2,300	140	0	0
2,300	2,400	145	0	0
2,400	2,500	150	0	0
2,500	2,600	155	0	0
2,600	2,700	160	0	0
2,700	2,800	165	0	0
2,800	2,900	170	0	0
2,900	3,000	175	0	0
3,000	3,100	180	0	0
3,100	3,200	185	0	0
3,200	3,300	190	0	0
3,300	3,400	195	0	0
3,400	3,500	200	0	0
3,500	3,600	205	0	0
3,600	3,700	210	0	0
3,700	3,800	215	0	0
3,800	3,900	220	0	0
3,900	4,000	225	0	0
4,000	4,100	230	0	0
4,100	4,200	235	0	0
4,200	4,300	240	0	0
4,300	4,400	245	0	0
4,400	4,500	250	0	0

1	2	3		
₹०	₹०	₹०	આ૦	પા૦
4,500	4,600	255	0	0
4,600	4,700	260	0	0
4,700	4,800	265	0	0
4,800	4,900	270	0	0
4,900	5,000	275	0	0
5,000	5,250	285	0	0
5,250	5,500	295	0	0
5,500	5,750	305	0	0
5,750	6,000	315	0	0
6,000	6,250	325	0	0
6,250	6,500	335	0	0
6,500	6,750	345	0	0
6,750	7,000	355	0	0
7,000	7,250	365	0	0
7,250	7,500	375	0	0
7,500	7,750	385	0	0
7,750	8,000	395	0	0
8,000	8,250	405	0	0
8,250	8,500	415	0	0
8,500	8,750	425	0	0
8,750	9,000	435	0	0
9,000	9,250	445	0	0
9,250	9,500	455	0	0
9,500	9,750	465	0	0
9,750	10,000	475	0	0
10,000	10,500	490	0	0
10,500	11,000	505	0	0
11,000	11,500	520	0	0
11,500	12,000	535	0	0
12,000	12,500	550	0	0
12,500	13,000	565	0	0
13,000	13,500	580	0	0
13,500	14,000	595	0	0
14,000	14,500	610	0	0
14,500	15,000	625	0	0
15,000	15,500	640	0	0
15,500	16,000	655	0	0

1	2	3		
₹૦	₹૦	₹૦	આ૦	પા૦
16,000	16,500	670	0	0
16,500	17,000	685	0	0
17,000	17,500	700	0	0
17,500	18,000	715	0	0
18,000	18,500	730	0	0
18,500	19,000	745	0	0
19,000	19,500	760	0	0
19,500	20,000	775	0	0
20,000	21,000	795	0	0
21,000	22,000	815	0	0
22,000	23,000	835	0	0
23,000	24,000	855	0	0
24,000	25,000	875	0	0
25,000	26,000	895	0	0
26,000	27,000	915	0	0
27,000	28,000	935	0	0
28,000	29,000	955	0	0
29,000	30,000	975	0	0
30,000	32,000	995	0	0
32,000	34,000	1,015	0	0
34,000	36,000	1,035	0	0
36,000	38,000	1,055	0	0
38,000	40,000	1,075	0	0
40,000	42,000	1,095	0	0
42,000	44,000	1,115	0	0
44,000	46,000	1,135	0	0
46,000	48,000	1,155	0	0
48,000	50,000	1,175	0	0
50,000	55,000	1,200	0	0
55,000	60,000	1,225	0	0
60,000	65,000	1,250	0	0
65,000	70,000	1,275	0	0
70,000	75,000	1,300	0	0
75,000	80,000	1,325	0	0
80,000	85,000	1,350	0	0
85,000	90,000	1,375	0	0
90,000	95,000	1,400	0	0
95,000	1,00,000	1,425	0	0

1 ₹०	2 ₹०	3 ₹०	₹०	₹०
1,00,000	1,05,000	1,450	0	0
1,05,000	1,10,000	1,475	0	0
1,10,000	1,15,000	1,500	0	0
1,15,000	1,20,000	1,525	0	0
1,20,000	1,25,000	1,550	0	0
1,25,000	1,30,000	1,575	0	0
1,30,000	1,35,000	1,600	0	0
1,35,000	1,40,000	1,625	0	0
1,40,000	1,45,000	1,650	0	0
1,45,000	1,50,000	1,675	0	0
1,50,000	1,55,000	1,700	0	0
1,55,000	1,60,000	1,725	0	0
1,60,000	1,65,000	1,750	0	0
1,65,000	1,70,000	1,775	0	0
1,70,000	1,75,000	1,800	0	0
1,75,000	1,80,000	1,825	0	0
1,80,000	1,85,000	1,850	0	0
1,85,000	1,90,000	1,875	0	0
1,90,000	1,95,000	1,900	0	0
1,95,000	2,00,000	1,925	0	0
2,00,000	2,05,000	1,950	0	0
2,05,000	2,10,000	1,975	0	0
2,10,000	2,15,000	2,000	0	0
2,15,000	2,20,000	2,025	0	0
2,20,000	2,25,000	2,050	0	0
2,25,000	2,30,000	2,075	0	0
2,30,000	2,35,000	2,100	0	0
2,35,000	2,40,000	2,125	0	0
2,40,000	2,45,000	2,150	0	0
2,45,000	2,50,000	2,175	0	0
2,50,000	2,55,000	2,200	0	0
2,55,000	2,60,000	2,225	0	0
2,60,000	2,65,000	2,250	0	0
2,65,000	2,70,000	2,275	0	0
2,70,000	2,75,000	2,300	0	0
2,75,000	2,80,000	2,325	0	0
2,80,000	2,85,000	2,350	0	0

1	2	3		
₹०	₹०	₹०	આ૦	પા૦
2,85,000	2,90,000	2,375	0	0
2,90,000	2,95,000	2,400	0	0
2,95,000	3,00,000	2,425	0	0
3,00,000	3,05,000	2,450	0	0
3,05,000	3,10,000	2,475	0	0
3,10,000	3,15,000	2,500	0	0
3,15,000	3,20,000	2,525	0	0
3,20,000	3,25,000	2,550	0	0
3,25,000	3,30,000	2,575	0	0
3,30,000	3,35,000	2,600	0	0
3,35,000	3,40,000	2,625	0	0
3,40,000	3,45,000	2,650	0	0
3,45,000	3,50,000	2,675	0	0
3,50,000	3,55,000	2,700	0	0
3,55,000	3,60,000	2,725	0	0
3,60,000	3,65,000	2,750	0	0
3,65,000	3,70,000	2,775	0	0
3,70,000	3,75,000	2,800	0	0
3,75,000	3,80,000	2,825	0	0
3,80,000	3,85,000	2,850	0	0
3,85,000	3,90,000	2,875	0	0
3,90,000	3,95,000	2,900	0	0
3,95,000	4,00,000	2,925	0	0
4,00,000	4,05,000	2,950	0	0
4,05,000	4,10,000	2,975	0	0
4,10,000	--	3,000	0	0

## अनुसूची 2

### नियत फीसें

संख्यांक	उचित फीस
1. आवेदन या अर्जी	
(क) जब वह सरकार से व्यवहार रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा सीमाशुल्क या उत्पाद-शुल्क विभाग के किसी अधिकारी को या किसी मजिस्ट्रेट को पेश की जाती है, और जब ऐसे आवेदन की विषय-वस्तु अनन्यतः उस व्यवहार के संबंध में है;	
या जब वह सीधे सरकार से किए गए वचनबंध के अधीन अस्थायी तौर पर व्यवस्थापित भूमि के धारक व्यक्ति द्वारा भू-राजस्व के किसी अधिकारी को पेश की जाती है, और जब आवेदन या अर्जी की विषय-वस्तु अनन्यतः उस वचनबंध के संबंध में है;	
या जब वह किसी नगरपालिका आयुक्त को किसी स्थान की सफाई या सुधार के लिए किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन पेश की जाती है, यदि आवेदन या अर्जी ऐसी सफाई या सुधार के संबंध में ही है;	एक आना।
या जब यह आरम्भिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय से भिन्न किसी सिविल न्यायालय में <sup>1****</sup> 1865 के अधिनियम संख्यांक 11 <sup>2</sup> या 1868 के अधिनियम संख्यांक 16 <sup>3</sup> की धारा 20 के अधीन गठित किसी लघुवाद न्यायालय में या कलक्टर या राजस्व के अन्य अधिकारी को किसी ऐसे वाद या मामले के संबंध में पेश की जाती है जिसकी रकम या विषय-वस्तु का मूल्य पचास रुपए से कम है;	
या जब वह किसी सिविल, दाण्डिक या राजस्व न्यायालय में या किसी बोर्ड में या कार्यपालक अधिकारी को ऐसे न्यायालय, बोर्ड या अधिकारी द्वारा पारित किसी निर्णय, डिक्री या आदेश की या ऐसे न्यायालय या कार्यालय के अभिलेख की किसी अन्य दस्तावेज की प्रतिलिपि या अनुवाद अभिप्राप्त करने के लिए पेश की जाती है।	
(ख) जब उसमें ऐसे अपराध से भिन्न, जिसके लिए पुलिस अधिकारी दण्ड प्रक्रिया संहिता <sup>4</sup> के अधीन बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं, किसी अपराध का परिवाद या आरोप अंतर्विष्ट है, और वह किसी दंड न्यायालय में पेश की जाती है;	आठ आने
या जब वह सिविल, दाण्डिक या राजस्व न्यायालय में या कलक्टर या किसी राजस्व अधिकारी के यहां जिसकी अधिकारिता कलक्टर की अधिकारिता के बराबर या अधीनस्थ है, या किसी मजिस्ट्रेट के यहां उसकी कार्यपालक हैसियत में पेश की जाती है, और उसके लिए इस अधिनियम द्वारा अन्यथा उपबंधित नहीं है;	आठ आने।
या जब वह न्यायालय में राजस्व या भाटक का निष्क्रेप करने के लिए है;	
या जब वह न्यायालय द्वारा भू-स्वामी से अपने अभिधारी को दिए जाने वाले प्रतिकर की रकम के अवधारण के लिए है।	
(ग) जब वह मुख्य आयुक्त या अन्य मुख्य नियंत्रक राजस्व या कार्यपालक प्राधिकारी के यहां, या राजस्व या सर्किट के आयुक्त के यहां, या खंड के कार्यपालक प्रशासन के भारसाधक किसी मुख्य अधिकारी के यहां पेश की जाती है और उसके लिए इस अधिनियम द्वारा अन्यथा उपबंधित नहीं है।	एक रुपया।
(घ) जब वह उच्च न्यायालय में पेश की जाती है।	दो रुपया।

<sup>1</sup> 1889 के अधिनियम सं० 13 द्वारा “या कोई छावनी मजिस्ट्रेट जो 1859 के अधिनियम सं० 3 के अधीन सिविल न्यायालय के रूप में कार्य कर रहा हो” शब्द निरसित किए गए।

<sup>2</sup> अब प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1887 (1887 का 9) देखिए, जिसके द्वारा 1865 का अधिनियम सं० 11 निरसित किया गया।

<sup>3</sup> अब बंगाल, आगरा और असम सिविल न्यायालय अधिनियम, 1887 (1887 का 12) की धारा 25 देखिए।

<sup>4</sup> अब दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्यांक 2) देखिए।

संख्यांक		उचित फीस
<sup>1</sup> [1क. किसी सिविल न्यायालय में यह आवेदन कि अन्य न्यायालय से अभिलेख मंगाए जाएं।	जब न्यायालय आवेदन मंजूर कर लेता है और उसकी यह राय है कि ऐसे अभिलेखों के पारेषण में डाक का उपयोग अंतर्भुलित है।	उस आवेदन पर इस अनुसूची के अनुच्छेद 1 के खण्ड (क), खण्ड (ख) या खण्ड (घ) के अधीन उद्गृहीत फीस के अतिरिक्त बारह आने।]
2. अकिञ्चन के तौर पर वाद लाने की इजाजत के लिए आवेदन।	...	आठ आने।
3. अकिञ्चन के तौर पर अपील करने की इजाजत के लिए आवेदन।	(क) जब वह जिला न्यायालय में पेश किया जाता है। (ख) जब वह आयुक्त के यहां या उच्च न्यायालय में पेश किया जाता है।	एक रुपया। दो रुपया।
4. 1838 के अधिनियम <sup>2</sup> संख्यांक 16 या <sup>3</sup> [मामलातदार कोर्ट्स एक्ट, 1876] (1876 का मुम्बई अधिनियम 3) के अधीन कब्जा अभिप्राप्त करने के वाद में वाद पत्र या अपील का ज्ञापन।	...	आठ आने।
5. अधिभोग के अधिकार को साबित या नासाबित करने के लिए वाद पत्र या अपील का ज्ञापन।	...	
<sup>5</sup> [6. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की किसी धारा के अधीन न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए आदेश के अनुसरण में दिया गया जमानतनामा या बाध्यता की अन्य लिखत जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा अन्यथा उपबन्धित नहीं है।]	...	आठ आने।
7. भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869 (1869 का 4) की धारा 49 के अधीन परिवर्चन।	...	
8. [निरसन और संशोधन अधिनियम, 1891 (1891 का 12) द्वारा निरसित।]	...	
9. [निरसन और संशोधन अधिनियम, 1891 (1891 का 12) द्वारा निरसित।]	...	
10. मुख्तारनामा या वकालतनामा।	जब वह किसी एक मामले के संचालन के लिए—	आठ आने।

<sup>1</sup> 1911 के अधिनियम सं० 14 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>2</sup> वाम्बे कोर्ट्स आफ अदालत एक्ट, 1838।

<sup>3</sup> 1891 के अधिनियम सं० 12 द्वारा “1864 के वाम्बे एक्ट 5 (मामलातदार न्यायालयों को कुछ मामलों में विद्यमान कब्जा बनाए रखने के लिए या किसी पक्षकार को, जिसे विधि के अनुक्रम से अन्यथा कब्जा प्रत्यावर्तित कराने के लिए अधिकारिता देने के लिए)” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>4</sup> अब मामलातदार न्यायालय अधिनियम, 1906 (1906 का मुम्बई अधिनियम 2) देखिए।

<sup>5</sup> 1914 के अधिनियम सं० 17 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

संख्यांक	उचित फीस
(क) उच्च न्यायालय से भिन्न किसी सिविल या दण्ड न्यायालय में या किसी राजस्व न्यायालय में या किसी कलक्टर या मजिस्ट्रेट या अन्य कार्यपालक अधिकारी के यहां, जो उनसे भिन्न है जो इस संख्यांक के खंड (ख) और (ग) में वर्णित है, पेश किया जाता है।	आठ आने।
(ख) राजस्व, सर्किट या सीमाशुल्क के आयुक्त के यहां या खंड के कार्यपालक प्रशासन के भारसाधक अधिकारी के यहां, जो मुख्य राजस्व या कार्यपालक प्राधिकारी नहीं है, पेश किया जाता है।	एक रुपया।
(ग) उच्च न्यायालय, मुख्य आयुक्त, राजस्व बोर्ड या अन्य मुख्य नियंत्रक राजस्व या कार्यपालक प्राधिकारी के यहां पेश किया जाता है।	दो रुपया।
11. अपील का ज्ञापन, जब वह अपील 1*** डिक्री के या डिक्री का बल रखने वाले आदेश के विरुद्ध नहीं है और वह पेश किया जाता है।	आठ आने।
(क) उच्च न्यायालय से भिन्न किसी सिविल न्यायालय में अथवा उच्च न्यायालय या मुख्य नियंत्रक राजस्व या कार्यपालक प्राधिकारी से भिन्न किसी राजस्व न्यायालय में या कार्यपालक अधिकारी के यहां।	दो रुपए।
(ख) उच्च न्यायालय में या मुख्य आयुक्त या अन्य मुख्य नियंत्रक कार्यपालक या राजस्व प्राधिकारी के यहां।	दो रुपए।
12. केवियट।	
13. 21859 के अधिनियम सं० 10 की धारा 26 या <sup>3</sup> 1862 के बंगाल अधिनियम सं० 6 की धारा 9 या <sup>4</sup> 1869 के बंगाल अधिनियम सं० 8 की धारा 7 के अधीन आवेदन।	पांच रुपए।
14. संपरिवर्ती विवाह विघटन अधिनियम, 1866 (1866 का 21) के अधीन के वाद में	...
15. [सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908] (1908 का 5) द्वारा निरसित।]	
16. [प्रोबेट एडमिनिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1889 (1889 का 6) की धारा 18 द्वारा निरसित।]	
17. निम्नलिखित वादों में से हर एक में वादपत्र या अपील का ज्ञापन :—	
(i) ऐसे सिविल न्यायालयों में से जो लेटर्स पेटेण्ट द्वारा स्थापित नहीं हैं किसी का या किसी राजस्व न्यायालय का संक्षिप्त विनिश्चय या आदेश परिवर्तित या अपास्त कराने के लिए वाद;	दस रुपए।

<sup>1</sup> 1908 के अधिनियम संख्यांक 5 की धारा 155 तथा अनुसूची 4 द्वारा “वादपत्र को खारिज करने के विरुद्ध आदेश से, या” शब्दों का लोप किया गया।

<sup>2</sup> 1859 के अधिनियम सं० 10 को बंगाल टेनेन्सी ऐक्ट, 1885 (1885 का 8) द्वारा लोअर प्राविन्स के उन भागों में जिनमें उस अधिनियम का विस्तार है; और छोटा नागपुर लैंडलार्ड एन्ड टेनेन्ट प्रोसिजर ऐक्ट, 1879 (1879 का बंगाल अधिनियम, 1) द्वारा छोटा नागपुर डिविजन (मानभूम और ट्रिब्यूटरी महाल के सिवाय) में; अब छोटा नागपुर टेनेन्सी ऐक्ट, 1908 (1908 का बंगाल अधिनियम 6) द्वारा; 1873 के अधिनियम सं० 18 द्वारा आगरा के प्रान्त में, और सेन्ट्रल प्राविन्स टेनेन्सी ऐक्ट, 1883 (1883 का 9) द्वारा सेन्ट्रल प्राविन्स में, निरसित।

<sup>3</sup> 1862 के बंगाल अधिनियम सं० 6 को बंगाल टेनेन्सी ऐक्ट, 1885 (1885 का 8) द्वारा, जहां तक यह लोअर प्राविन्स के उन भागों को प्रभावित करता है जिनमें उस अधिनियम का विस्तार है; और छोटा नागपुर लैंडलार्ड एन्ड टेनेन्ट प्रोसिजर ऐक्ट, 1879 (1879 का बंगाल अधिनियम 1) छोटा नागपुर टेनेन्सी ऐक्ट, 1908 (1908 का बंगाल अधिनियम 6) द्वारा निरसित।

<sup>4</sup> बंगाल टेनेन्सी ऐक्ट, 1885 (1885 का 8) द्वारा 1869 का बंगाल अधिनियम सं० 8 निरसित।

**17. निम्नलिखित वादों में से हर एक में वादपत्र या अपील का ज्ञापन—समाप्त**

- (ii) राजस्व संदायी संपदाओं के स्वामियों के नामों के रजिस्टर में की कोई प्रविष्टि परिवर्तित या रद्द करने के लिए वाद ;
- (iii) घोषणात्मक डिक्री अभिप्राप्त करने के लिए वाद, जहां कोई पारिणामिक अनुतोष प्रार्थित नहीं है;
- (iv) पंचाट अपास्त कराने के लिए वाद;
- (v) दत्तकग्रहण अपास्त कराने के लिए वाद;
- (vi) हर अन्य वाद जिसमें विवादग्रस्त विषय-वस्तु का मूल्य धन के रूप में प्राक्कलित करना संभव नहीं है और जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा अन्यथा उपबंधित नहीं है।

**18. सिविल प्रक्रिया संहिता<sup>1</sup> की धारा 326 के अधीन आवेदन।**

<sup>2</sup>[19. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन न्यायालय की राय के लिए प्रश्न का कथन करने वाला लिखित करार।]

20. भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869 (1869 का 4) की धारा 44 के अधीन अर्जियों के सिवाय उस अधिनियम के अधीन हर अर्जी और उस अधिनियम की धारा 55 के अधीन हर अपील का ज्ञापन।

21. <sup>3</sup>पारसी मैरिज एण्ड डाइवोर्स ऐक्ट, 1865 (1865 का 15) के अधीन वादपत्र या अपील का ज्ञापन।

...

दस रुपए।

...

दस रुपए।

...

बीस रुपए।

<sup>1</sup> अब माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 (1940 का 10) देखिए।

<sup>2</sup> 1908 के अधिनियम संख्याक 5 की धारा 155 तथा अनुसूची IV द्वारा मूल प्रविष्टि “उसी संहिता की धारा 328 के अधीन करार” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>3</sup> अब पारसी विवाह और विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1936 (1936 का 3) देखिए।

<sup>1</sup>अनुसूची 3

(धारा 19ज्ञ देखिए)

**मूल्यांकन का प्ररूप (आवश्यक उपांतरों सहित, यदि कोई हों, प्रयोग में लाया जाए)**

के न्यायालय में

मृतक \_\_\_\_\_ की विल के प्रोबेट (या की संपत्ति और उधारों के प्रशासन) के मामले में  
मैं ..... सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और कहता हूं कि मैं मृतक \_\_\_\_\_ का निष्पादक (या के निष्पादकों  
शपथ लेता

में से एक का निकटम कुल्य) हूं, और मैंने इस शपथपत्र के उपाबन्ध “क” में यह सब संपत्ति और उधार सही तौर पर उपवर्णित कर दिए हैं जिन पर मृतक अपनी मृत्यु के समय कब्जा रखता था या हकदार था और जो मेरे हाथों में आ गए हैं या आने संभाव्य हैं।

2. मैं यह भी कहता हूं कि मैं ने उपाबंध “ख” में वे सब मदें सही तौर पर उपवर्णित कर दी हैं जिन्हें काटने के लिए मैं विधि द्वारा अनुज्ञात हूं।

3. मैं यह भी कहता हूं कि उक्त आस्तियां, केवल अंतिम वर्णित मदों को सम्मिलित न करते हुए, किन्तु उक्त मृतक की मृत्यु की तारीख से सब भाटकों, व्याज, लाभांशों और बढ़े हुए मूल्यों को सम्मिलित करते हुए, से कम मूल्य की हैं।

**उपाबंध क****मृतक की जंगम और स्थावर सम्पत्ति का मूल्यांकन**

रु०	आने	पाई
घर में तथा बैंकों में नकद, घर-गृहस्थी का सामान, पहनने के वस्त्र, पुस्तकें, सोना-चांदी, रत्न, आदि (निष्पादक या प्रशासक के सर्वोत्तम विश्वास के अनुसार प्राक्कलित मूल्य लिखिए)		
सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में संपत्ति, जो लोक ऋण कार्यालय में अंतरणीय है		
(उसका वर्णन और उस दिन की कीमत के हिसाब से मूल्य लिखिए, आवेदन करने के समय तक गणना करके व्याज भी अलग लिखिए)		
स्थावर संपत्ति अर्थात्.....		
(गृहों की दशा में निर्धारित मूल्य, यदि कोई हो, और उन वर्षों की संख्या जितनों के निर्धारण पर बजार-मूल्य प्राक्कलित किया गया है, और भूमि की दशा में उसका क्षेत्रफल, बाजार-मूल्य और सब प्रोद्भूत भाटक दिखाते हुए, वर्णन लिखिए)		
पट्टाधृत सम्पत्ति.....		
(यदि मृतक कुछ वर्षों के उपरान्त पर्यवसेय पट्टा धारण करता था तो मृत्यु की तारीख को शोध्य बकाया तथा उस तारीख से आवेदन करने की तारीख तक प्राप्त या शोध्य भाटक पृथक् दिखाते हुए यह लिखिए कि कितने वर्षों के भाटक के बराबर लाभ-भाटक प्राक्कलित किया गया है)		
सार्वजनिक कम्पनियों में सम्पत्ति.....		
(विशिष्टियां और उस दिन की कीमत की दर से गणना करके मूल्य लिखिए व्याज आवेदन करने के समय तक गणना करके पृथक्: लिखिए)		
जीवन बीमा पालिसी, बंधक या अन्य प्रतिभूतियों में, जिसे बंधपत्रों, बंधकों, विनिमयपत्रों, वचनपत्रों और धन की अन्य प्रतिभूतियों में लगा हुआ रूपया।		
(सब को मिलाकर रकम लिखिए; व्याज पृथक्: आवेदन करने के समय तक गणना करके लिखिए)		

<sup>1</sup> 1899 के अधिनियम सं० 11 की धारा 3 द्वारा यह अनुसूची अंतःस्थापित। 1870 के अधिनियम सं० 14 द्वारा मूल अनुसूची 3 निरसित।

उपाबंध—क—समाप्त	रु०	आने	पाई
बही ऋण.....			
(डुंबत से भिन्न).....			
व्यापार स्टाक.....			
(प्राक्कलित मूल्य, यदि कोई हो, लिखिए)			
अन्य सम्पत्ति जो पूर्वगामी शीर्षों में नहीं आई हैं.....			
(प्राक्कलित मूल्य, यदि कोई हो, लिखिए)			
योग.			
उपाबन्ध “ख” में दिखाई गई रकम की जिस पर शुल्क संदेय नहीं है कटौती.....			
शुद्ध योग .			

### उपाबंध ख

ऋण आदि की अनुसूची			
मृतक से शोध्य और उसके द्वारा देय ऋणों की रकम, जो विधि के अनुसार संपदा में से संदेय है अंत्येष्टि व्यय की रकम .			
वंधक-विल्लंगमों की रकम .			
बिना फायदाप्रद हित और बिना फायदाप्रद हित प्रदत्त करने की साधारण शक्ति के न्यासतः धारित सम्पत्ति अन्य सम्पत्ति जिस पर शुल्क उद्ग्रहणीय नहीं है			
योग .			